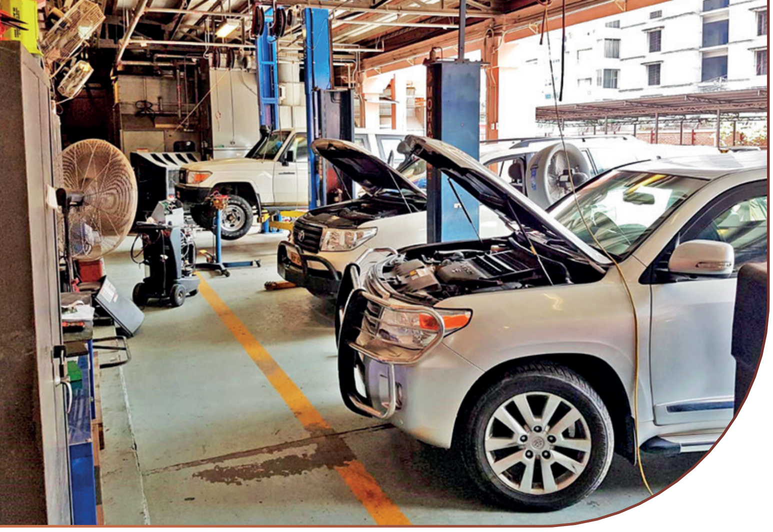

NAB

भविष्य की ओर भारत

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

12वीं वार्षिक प्रतिवेदन

2024-25

वार्षिक प्रतिवेदन
2024 -2025

आज़ादी का अमृत महोत्सव

प्रौद्योगिकी

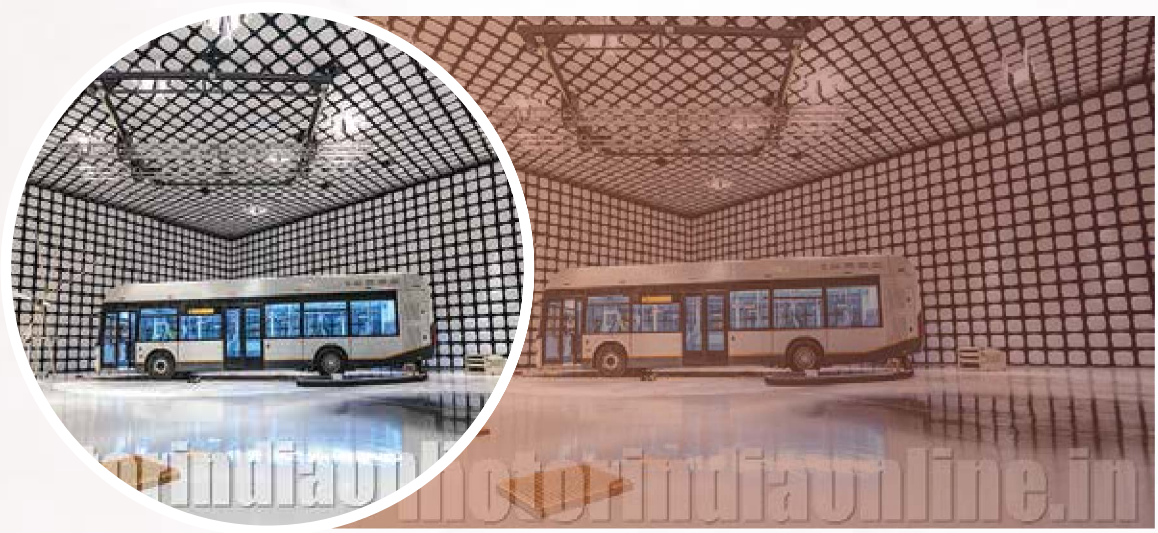

शोध एवं विकास

नवाचार (परिवर्तन)

विषय सूची

	पृष्ठ सं.
प्रस्तावना कार्यकारी सदस्य/सीईओ (एनएबी)	4
राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड (एनएबी) के बारे में	5 -42
केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए खातों के एक समान प्रारूप के अनुसार प्रमाणित वित्तीय विवरण	
1. तुलन पत्र - एनएबी के सभी प्रभागों सहित	44
2. आय और व्यय लेखा - एनएबी के सभी प्रभागों सहित	45
3. तुलन पत्र की अनुसूची - एनएबी के सभी प्रभागों सहित	46-59
4. प्राप्ति और भुगतान लेखा - एनएबी के सभी प्रभागों सहित	60-61
5. खातो पर नोट्स - एनएबी के सभी प्रभागों सहित	62-74
एनएबी स्पष्टीकरण के साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	75- 80

प्रस्तावना

सत्यमेव जयते

डॉ. हनीफ़ कुरैशी

कार्यकारी सदस्य/सीईओ (एनएबी) - संदेश

अपर सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली - 110011

यह रिपोर्ट वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एनएबी के परीक्षण केंद्रों के प्रदर्शन को दर्शाती है। एनएबी के सभी परीक्षण केंद्र पूरी तरह कार्यात्मक, आत्मनिर्भर हैं और उद्योग जगत को विश्व स्तरीय परीक्षण और होमोलोगेशन सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं तथा अपने परिचालन राजस्व से अधिशेष अर्जित कर रहे हैं। एनएबी वर्तमान में ऑटोमोटिव उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने सभी परीक्षण केंद्रों पर इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) और इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति उपकरणों (ईवीएसई) के लिए परीक्षण अवसंरचना स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान एनएबी के परीक्षण केंद्रों का प्रदर्शन प्रभावशाली रहा है, इसने पिछले वर्ष की तुलना में 10% की वृद्धि दर्ज की और वित्त वर्ष 2024-25 को परीक्षण सेवाओं से ₹ 388.62 करोड़ की परिचालन आय अर्जित किया, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में यह ₹ 352.24 करोड़ थी। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कुल आय ₹ 593.97 करोड़ है। परिचालन व्यय को पूरा करने के बाद, आय पर प्रगतिशील अधिशेष ₹ 203.06 करोड़ है। ये वार्षिक लेखे प्रारंभिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित किए गए हैं और आगे सीएवंएजी द्वारा भी प्रमाणित किए गए हैं।

मैं एनएबी के अध्यक्ष और शासी परिषद के सदस्यों तथा केंद्रीय मंत्रालयों, एसआईएएम, एसीएमए और ऑटो उद्योगों के प्रतिनिधियों, एनएबी की लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं अपने उद्योग के ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं और सहयोगियों को उनके अपार विश्वास और समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं एनएबी और उसके परीक्षण केंद्रों के कर्मचारियों को उनकी प्रतिबद्धता और कड़ी मेहनत के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिससे ऑटो उद्योग और समग्र समाज के लिए निरंतर विकास और मूल्य सृजन हुआ है।

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड के बारे में

1. राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड (एनएबी) भारी उद्योग मंत्रालय के अधीनस्थ एक स्वायत सोसायटी है, जिसकी स्थापना 2013 में (पंजीकरण संख्या एस/एनडी/311/2013, दिनांक 27 अगस्त, 2013) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के XXI के तहत संगम ज्ञापन (एमओए) और नियमों एवं विनियमों के साथ की गई थी।

2. सोसायटी का उद्देश्य ऑटोमोटिव क्षेत्र से तकनिकी और डोमेन विशेषज्ञता को एक मंच पर लाना है। इससे मोटर वाहन उद्योग को प्रभावित करने वाली नीतियों, विनियमों और हस्तक्षेपों को आकार देने में शामिल विभिन्न एजेंसियो और मंत्रालयों के बीच सहयोग में सुविधा होगी। ऐसा करने से, इस क्षेत्र की वृद्धि और विकास के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण उपलब्ध होगा।

3. सोसायटी के एमओए में सोसायटी के विस्तृत लक्ष्यों और उद्देश्य का उल्लेख किया गया है। कुछ प्रमुख लक्ष्य और उद्देश्य इस प्रकार हैं:

   i. मोटरवाहन क्षेत्र से संबंधित डेटा, डोमेन ज्ञान और विशेषज्ञता के राष्ट्रीय भंडार के रूप में कार्य करना। सरकारी नीति और विनियमन तैयार करने के लिए इनपुट प्रदान करने के प्रयोजन से ऐसे डेटा का विश्लेषण करना।

   ii. एनएबी के अधीनस्थ केंद्रों में पालन की जाने वाली परीक्षण प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल का मानकीकरण सुनिश्चित करना और परीक्षण केंद्र सह-संबंध लेखापरीक्षा और बेंचमार्किंग करना।

   iii. किसी भी ऑटोमोटिव परीक्षण और परीक्षण केंद्र विवादों के लिए अपीलीय निकाय होना और एनएबी के अधीनस्थ केंद्रों द्वारा किए गए प्रमाणन, प्रत्यायन और परीक्षण से सम्बंधित शिकायतों का निवारण करना।

   iv. परीक्षण केंद्रों की ओर से व्यक्तिगत अनुसंधान एवं विकास प्रस्तावों (डीपीआर) को विकसित करना, इन्हें वित्तपोषण एजेंसियों को प्रस्तुत करना और अनुमोदन प्राप्त करना। अनुसंधान एवं विकास परियोजना कार्यान्वयन पर्यवेक्षण, परियोजना निगरानी और अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के परिणामों की रिपोर्टिंग का पर्यवेक्षण भी एनएबी द्वारा किया जाएगा।

   v. भारी उद्योग संस्थान के अंतर्गत परीक्षण केंद्रों के कार्यकरण का प्रशासन, निगरानी, समन्वय, विनियमन और सहक्रियाशीलता करना ताकि केंद्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, प्रदान की जा रही अपेक्षित सेवा गुणवत्ता को बनाए रखने, सुविधाओं की बेंचमार्किंग सुनिश्चित की जा सके।

   vi. यह सुनिश्चित करना कि परीक्षा केन्द्रों में सरकार द्वारा किए गए निवेश पर इष्टतम रिटर्न प्राप्त हो।

   vii. नई ऑटोमोटिव पहलों, ऑटोमोटिव नीति, सांविधिक अनुपालन, शिकायत निवारण और सीवीसी, लेखापरीक्षा आदि जैसी सरकार की सवैधानिक एजेंसियो से संबंधित मामलों सहित सरकार से प्राप्त संदर्भों के संबंध में एवं उपरोक्त सभी मामलों में परीक्षण-केंद्रों के साथ पर्यवेक्षण, प्रशासन और समन्वय रखना।

   viii. क्षमता निर्माण, परीक्षण प्रक्रियाओं का मानकीकरण, लेखा परीक्षा/प्रत्यायन और परीक्षण केंद्रों की आवश्यकताओं का उन्नयन/विस्तार करना।

   ix. नैटिस के समापन और अवशिष्ट मुद्दों का ध्यान रखना।

   x. सरकार अथवा शासी परिषद, एनएबी द्वारा दी गई किसी भी अन्य जिम्मेदारियों और कार्यों का अनुपालन करना।

xi. शासी परिषद, एनएबी द्वारा यथाअनुमोदित शुल्क के साथ बाहरी एजेंसियों को परामर्श और विशेषज्ञता प्रदान करना।

xii. राष्ट्रीय/वैश्विक परामर्शदाताओं और विशेषज्ञों, उद्योग संघों, मोटर वाहन नीति निर्माण, परीक्षण, होमोलोगेशन, विनियमन, प्रमाणन, मान्यता, अनुसंधान एवं विकास और नई पहल से जुड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ काम करना।

4. सोसायटी के नियमों और विनियमों के संदर्भ में, शासी परिषद एक शासी निकाय है, जिसे सोसायटी का प्रबंधन सौंपा गया है। पंजीकरण के उद्देश्य से शासी परिषद का गठन आठ सदस्यों के साथ किया गया था, जिसका प्रतिनिधित्व अब सोसायटी के निम्नलिखित 'सदस्य वर्गों' के 24 सदस्यों द्वारा किया जाता हैं:

- साधारण सदस्य;
- कार्यात्मक सदस्य;
- सदस्य केंद्र;
- संबद्ध सदस्य;
- मनोनीत सदस्य;
- मानद सदस्य;

शासी परिषद की वर्तमान संरचना (नवंबर, 2022 के उपरांत)

1.	सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय(एमएचआई)-अध्यक्ष, एनएबी
2.	अपर सचिव और वित्त सलाहकार, भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई)
3.	अपर सचिव (ऑटो), भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई)
4.	कार्यात्मक सदस्य, एनएबी
5.	अपर सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी)
6.	अपर सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच)
7.	निदेशक (मार्केटिंग), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी)
8.	अध्यक्ष, स्केल समिति
9.	प्रबंध निदेशक और सीईओ, कन्वर्जन्स एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल)
10.	निदेशक, एमएचआई और निदेशक (एफपीसीएएल), एनएबी, (सदस्य सचिव, एनएबी)
11.	प्रबंध निदेशक, एमएचआई और निदेशक (ओएडीएम), एनएबी
12.	अध्यक्ष, भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसायटी, (एसआईएमए)
13.	अध्यक्ष, ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, (एसीएमए)
14.	अध्यक्ष, ट्रैक्टर निर्माता संघ, (टीएमए)
15.	अध्यक्ष, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, (एआरएआई)
16.	डॉ अनीश शाह, सीईओ और प्रबंध निदेशक, महिंद्रा समूह
17.	श्री शैलेश चंद्र, प्रबंध निदेशक, टाटा मोटर्स
18.	श्री सौमित्र भट्टाचार्य, भूतपूर्व - प्रबंध निदेशक, बॉश लिमिटेड
19.	श्री दीपक जैन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ल्यूमेक्स इंडस्ट्रीज

20.	श्री गोपाल महादेवन, निदेशक(स्ट्रेटेजिक वित्त), अशोक लीलैंड
21.	श्री कवन मुखय्तयार, पार्टनर और लीडर - ऑटोमोटिव पीडब्ल्यूसी भारत
22.	निदेशक, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नॉलजी (आईकैट)
23.	निदेशक, राष्ट्रीय ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स (नैट्रेक्स)
24.	निदेशक, वैश्विक मोटर वाहन अनुसंधान केंद्र (जीएआरसी)

5. सोसायटी के लिए व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा यथाअनुमोदित कर्मी संख्या पच्चीस है, जिसमें संयुक्त सचिव के स्तर पर तीन सदस्य और अध्यक्ष के तौर पर भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं।

6. सोसायटी की भूमिका और प्रमुख कार्यों को इसके नियमों और विनियमों में निम्नानुसार स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है:

   i. **प्रमुख कार्य:** इसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं, भारी उद्योग विभाग के अधीनस्थ परीक्षण केंद्रों के कामकाज का प्रशासन, अनुवीक्षण, समन्वय, विनियमन और तारतम्य स्थापित करना, क्षमता निर्माण, परीक्षण प्रक्रियाओं का मानकीकरण, परीक्षण केंद्रों द्वारा एनएबी को प्रस्तुत परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर परीक्षण और होमोलोगेशन प्रमाण-पत्र जारी करना। ऑटो नीति से संबंधित मुद्दों के लिए सलाह, तकनीकी इनपुट और सचिवालय सहायता प्रदान करने हेतु तकनीकी डेटा, डोमेन ज्ञान और विशेषज्ञता का भंडार बनाना, ऑटोमोटिव अनुसंधान एवं विकास और परीक्षण आदि के क्षेत्र में कौशल सेट और दक्षताओं का विकास करना।

   ii. **मुख्य कार्य:** इसमें अन्य बातों के साथ-साथ नीतियां तैयार करना और परीक्षण प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन करना, ऑटोमोबिल क्षेत्र में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से संबंधित पहलों और समग्र मुद्दों की देखभाल करना, नए वाहन मूल्यांकन कार्यक्रम (एनवीएपी) की डिजाइन और प्रशासन, ऑटोमोटिव क्षेत्र से संबंधित डेटा के राष्ट्रीय भंडार के रूप में कार्य करना और विश्लेषण, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीनस्थ सड़क सुरक्षा बोर्ड के साथ सहयोग करना, उपकर निधि परियोजनाओं, परीक्षण सुविधा आयोजना, परीक्षण केंद्र की तैयारी के लिए उन्नयन और विस्तार, परीक्षण केंद्र सह-संबंध लेखापरीक्षा और बेंचमार्किंग जैसे विभिन्न संगठनों द्वारा वित्तपोषित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का समन्वय करना करना शामिल हैं। परीक्षण संबंधी किसी भी विवाद के लिए अपीलीय निकाय के रूप में कार्य करना, उभरती मोटर वाहन प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में जनशक्ति क्षमता का विकास करना, उद्योग और शिक्षा (एमओयू और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विनिमय कार्यक्रम) के साथ विनिमय का सशक्तिकरण और संवर्धन करना।

   iii. **सुविधा प्रदानकारी कार्य:** इसमें अन्य बातों के साथ-साथ वाहनों और संघटकों के लिए राष्ट्रीय प्रमाणन बोर्ड के रूप में कार्य करना और प्रत्यायित परीक्षण एजेंसियों द्वारा जारी परीक्षण रिपोर्टों के आधार पर वाहनों और संघटकों के लिए प्रमाण-पत्र जारी करना, विनियमों के अंतर्राष्ट्रीय सामंजस्य को अपनाने के लिए व्यवहार्यता का अध्ययन, मानकों, जनहितकारी सूचना का विनियमन और प्रकाशन, ऑटोमोटिव के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय विनियामक प्रणाली का संवर्धन शामिल हैं।

   iv. इसके अलावा, एनएबी, एनएटीआईएस के समापन और अवशिष्ट मुद्दों का ध्यान रखेगा।

7. एनएबी 2021 में राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (नैट्रिप) के पूरा होने के बाद, नैट्रिप के तहत विकसित निम्नलिखित परीक्षण केंद्रों की निगरानी और प्रशासन कर रहा है। ये केंद्र अब पूरी तरह कार्यात्मक हैं। एनएबी के तहत परीक्षण केंद्रों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

I. **इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (आईकैट), मानेसर, हरियाणा:** आईकैट राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड (एनएबी), भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक अग्रणी विश्वस्तरीय ऑटोमोटिव परीक्षण, प्रमाणन, होमोलोगेशन और अनुसंधान व विकास सेवा प्रदाता केंद्र है। आईकैट को मोटर वाहन और उसके घटकों के परीक्षण और प्रमाणन के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा सीएमवी नियम 126 के तहत एक अधिकृत परीक्षण एजेंसी के रूप में अधिसूचित किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)ने आईकैट को उत्सर्जन और ध्वनि प्रकार अनुमोदन और जनरेटर सेटों के सीओपी के लिए एक अधिकृत परीक्षण केंद्र के रूप में अधिसूचित किया है। नियामक परीक्षणों के अलावा, आईकैट ऑटोमोटिव और गैर-ऑटोमोटिव विकास के सभी क्षेत्रों में उद्योग को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं भी प्रदान करता है, जैसे- पावरट्रेन, शोर कंपन और कठोरता, संघटक, फटीग, फोटोमिट्री, टायर और पहिया, निष्क्रिय सुरक्षा, ईएमसी, सीएडी और सीएई।

आईकैट परिसर-2, मानेसर

i. यह केंद्र निम्नलिखित क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के रूप में विकसित हुआ है:

- शोर कंपन और कठोरता (एनवीएच)
- संघटक विकास

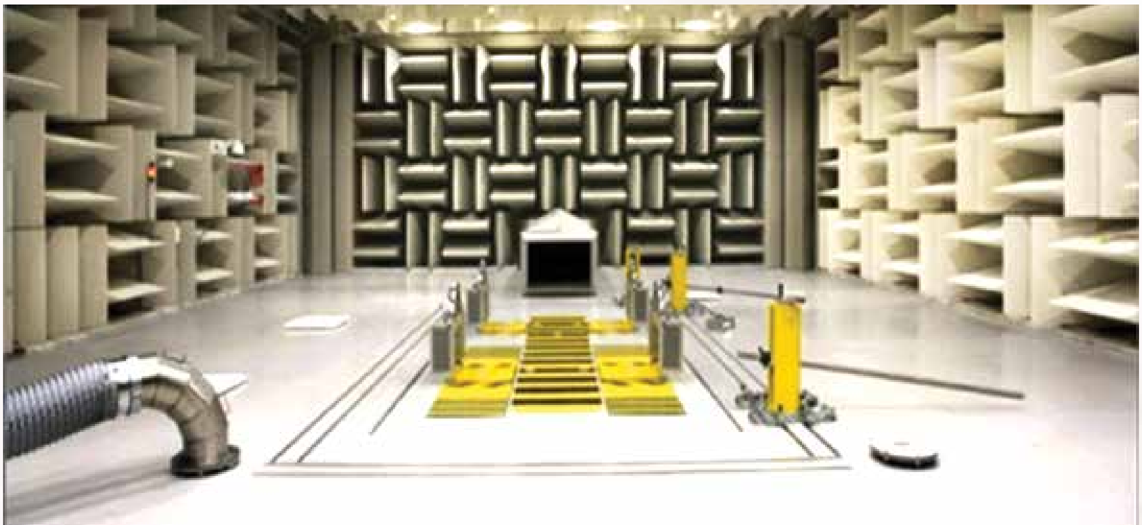

शोर कंपन और कठोरता (एनवीएच)

ii. आईकैट ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विभिन्न गतिविधियाँ पूरी की है:

क. अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं

क. आईकैट ने "साइकिल चालक प्रभाव" पर केंद्रित एक दुरुपयोग परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। यह साइकिल और सवार सेटअप के एक अभिनव आंतरिक संयोजन को डिजाइन और विकसित करके प्राप्त किया गया था। इसके बाद, इस व्यवस्था को मौजूदा क्रैश ड्राइव सिस्टम के साथ सटीक रूप में एकीकृत किया गया ताकि वास्तविक प्रभाव परिदृश्यों का अनुकरण किया जा सके और सटीक और विश्वसनीय परीक्षण परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें।

पैसिव सेफ्टी लैब (पीएसएल) द्वारा साइकिल चालक प्रभाव परीक्षण किया गया

ख. आईकैट ने ग्राहक द्वारा प्रदान की गई विशिष्ट आवश्यकताओं के साथ संरेखण सुनिश्चित करते हुए, बैकहो लोडर स्ट्रक्चर के स्थिर भार मामलों के लिए परिमित तत्व विश्लेषण (एफईए) का डिजाइन और निष्पादन सफलतापूर्वक किया। इसमें संरचनात्मक अखंडता और विभिन्न स्थिर भार स्थितियों में प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए विस्तृत मॉडलिंग और सिमुलेशन शामिल था। यह परियोजना ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप सटीक इंजीनियरिंग समाधान प्रदान करने की आईकैट की क्षमता को प्रदर्शित करती है।

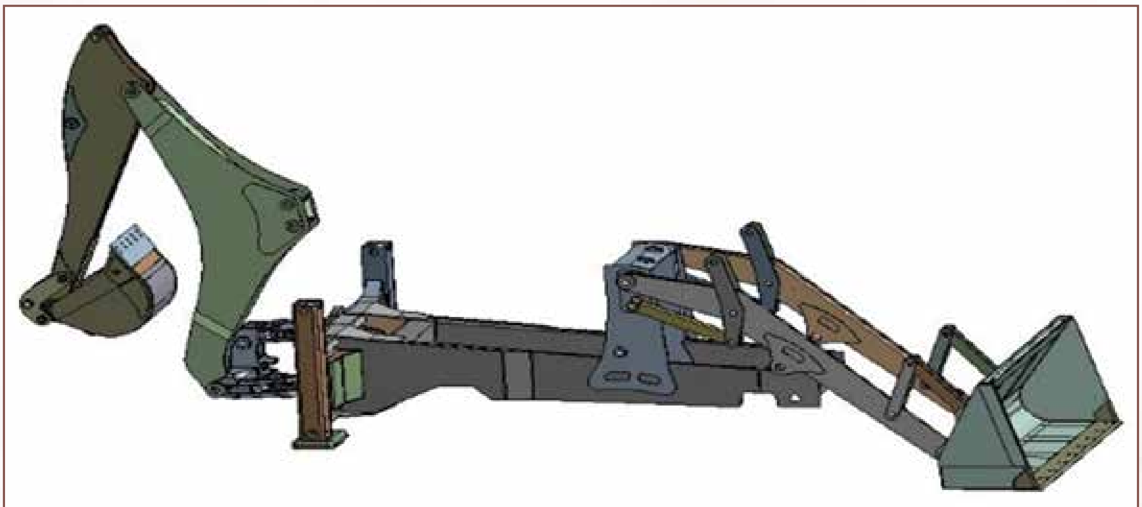

3डी सीएडी मॉडल

ग. आईकैट ने आंतरिक सीएबी इम्पैक्टर और सीएबी माउंटिंग रिंग विकसित करके सीएबी इम्पैक्टर परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया।

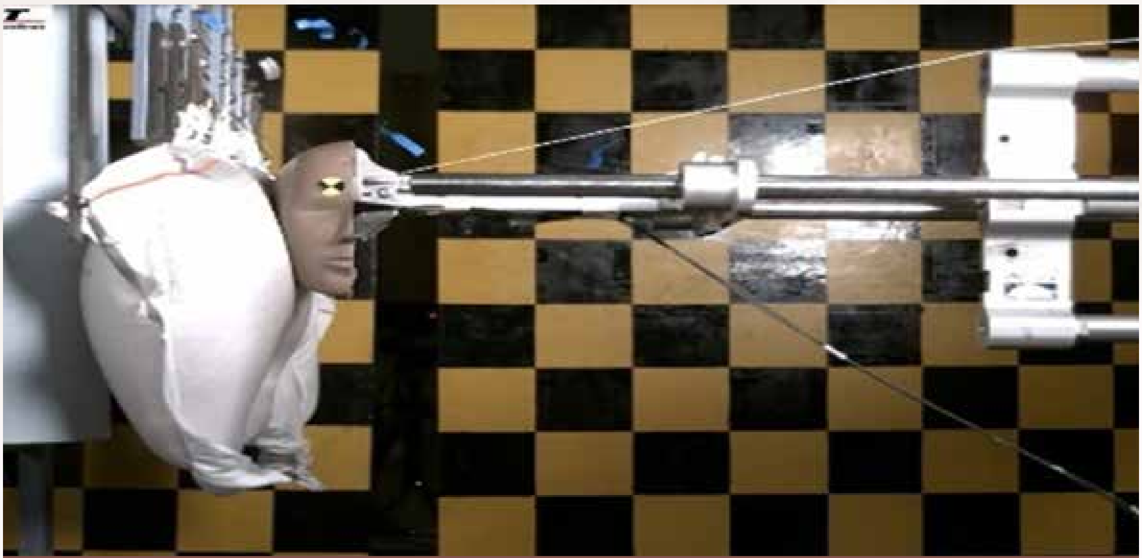

सीएबी इम्पैक्टर और सीएबी माउंटिंग रिंग

घ. स्वदेशी ऑफ्सेट डिफॉर्मेबल बैरियर (ओडीबी) विकास परियोजना, आईकैट की एक उच्च-प्रभावी पहल है, जिसका उदेश्य ऑटोमोटिव सुरक्षा और क्रैश-टेस्टिंग अवसंरचना में भारत की क्षमताओं को बढ़ाना है। इसका मुख्य उदेश्य ऑफ्सेट डिफॉर्मेबल बैरियर-प्रमुख घटकों-के निर्माण का स्थानीयकरण करना है। जो वहाँ दुर्घटना सिम्यलैशन में संरचनात्मक अखंडता और यात्री सुरक्षा का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाता है।

ऑफसेट डिफॉर्मेबल हनीकॉम्ब बैरियर आईकैट द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित

ख. प्रमुख उपलब्धियां

क. अप्रैल 2024 से, आईकैट ने कुल 1065 परीक्षण प्रमाण पत्र जारी किए है। जो कड़े मानकों को बनाए रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं एवं आईकैट के समर्पण को दर्शाते हुए वहाँ और घटक सुरक्षा, गुणवत्ता और नियामक अनुपालन के उच्चतम स्तर को पूरा करते हैं।

ख. 30 सितंबर, 2024 तक आईकैट ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 (इएमपीएस) के तहत 138 प्रमाण पत्र और भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) द्वारा शुरू की गई पीएलआई-ऑटो योजना के तहत चैंपियन ओईएमस को 7 प्रमाणपत्र जारी किए हैं।

ग. 5 अगस्त 2024 को स्पेन स्टीटह आईडीआईएडीए के मुख्यालय में आईकैट और आईडीआईएडीए के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसका उदेश्य अत्याधुनिक ग्राहक सेवा के परीक्षण, सत्यापन और संगतता को संयुक्त रूप से आगे बढ़ाना है। अत्याधुनिक ऑटोमोटिव तकनीकों का संरूपण, जिसमे कनेक्टेड वाहन, एडीएएस, परिवहन प्रणालियाँ, कार्यात्मक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा आदि जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिससे उद्योग में अभूतपूर्व नवाचारों का मार्ग प्रशस्त होगा।

घ. 8 अगस्त 2024 को आईकैट और टीयूवी रहेनलेंड ने अत्याधुनिक ऑटोमोटिव तकनीकों पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह साझेदारी एडीएएस, कनेक्टेड वाहन, साइबर सुरक्षा, कार्यात्मक सुरक्षा, बैटरी तकनीक आदि पर केंद्रित होगी।

ङ. 21 अगस्त 2024 को आईकैट और मैथवर्क के बीच आईकैट केन्द्र-II में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसका उदेश्य सिस्टम सिमुलेशन और एआई के एकीकरण के माध्यम से ऑटोमोटिव नवाचार को छात्रों, शिक्षाविदों और उद्योग के पेशेवरों के बीच स्मार्ट गतिशीलता के भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

च. आईकैट ने 4 अकटूबर 2024 को ऑटोमोटिव उद्योग के लिए डिजाइन फॉर सिक्स सिग्मा (डीएफएसएस) पर एक वेबीनार का आयोजन किया, जिसका उदेश्य डीएफएसएस सिद्धांतों का अवलोकन प्रदान करना और यह प्रदर्शित करना था कि वे डिजाइन प्रभावशीलता और अनुकूलन को कैसे बढ़ा सकते हैं।

छ. आईकैट के किसी भी केंद्र में कोई बड़ी दुर्घटना की सूचना नहीं मिली, केवल तीन छोटी घटनाएं हुई जिनमे किसी में भी कर्मचारी घायल नहीं हुए। सुरक्षित कामकाजी माहौल बनाए रखने के लिए आईकैट नियमित रूप से मॉक ड्रिल और व्यापक सुरक्षा प्रशिक्षण सत्र आयोजित करके सुरक्षा पर जोर देता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कर्मचारी पूरे परिसर में सुरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में अच्छी तरह से तैयार और जागरूक हैं।

ज. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) द्वारा आईकैट को ई-रिक्शा की सुरक्षा सुविधाओं की समीक्षा करने और मौजूदा अनुपालन में सुधार का सुझाव देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

झ. दोनों केंद्रों में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए आईकैट की पहल से अब तक 56.9 टन CO_2 की कमी हो चुकी है आईकैट रणनीतिक रूप से 2035 तक शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहा है।

ञ. केन्द्रीय मोटर वाहन नियम-तकनीकी स्थायी समिति (सीएमवीआर-टीएससी) की 62वीं बैठक 4 अप्रैल 2024 को आईकैट में सफलतापूर्वक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के अतिरिक्त सचिव श्री महमूद अहमद ने की इस सत्र में प्रमुख हितधारकों ने मोटर वाहन नियमों में महत्वपूर्ण अध्यातनों और प्रगति पर विचार विमर्श किया।

ट. उत्सर्जन कानून के कार्यान्वयन पर स्थायी समिति (एससीओई) की 66वीं बैठक 4 अप्रैल 2024 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के अतिरिक्त सचिव श्री महमूद अहमद की अध्यक्षता में आईकैट, मानेसर में आयोजित की गई।

ठ. आईकैट ने प्रमाणित पीओएसएच (यौन उत्पीड़न निवारण) कार्यकर्म को सफलतापूर्वक लागू किया है, जिसका उदेश्य महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण को बढ़ावा देना है।

ड. आईकैट को उत्कृष्टता, नवाचार और सेवा के प्रति अपनी प्रतिबाधत्ता पर गर्व है। हमारी टीम ने "ऑटोमोटिव लैम्प के लिए लोड इंडिपेंडेंट फ्लैशर यूनिट" नामक एक नया पेटेंट प्राप्त करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ऑटोमोटिव लैम्प के लिए पारंपरिक फ्लैशर विशिष्ट प्रतिरोधक भार के लिए डिजाइन किए गए हैं। इस सीमा के कारण, प्रतिरोधक भार में परिवर्तन होने पर एक नए

फ्लैशर की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, ऑटोमोटिव में एलईडी आधारित प्रकाश व्यवस्था के आगमन के साथ, पारंपरिक फ्लैशर काम नहीं करते क्योंकि भार पूरी तरह से प्रतिरोधक नहीं होता। इस समस्या के समाधान के लिए, एक लोड इंडिपेंडेंट फ्लैशर डिजाइन प्रस्तावित किया गया है जो किसी भी प्रकार के भार के बावजूद काम करता है। यह प्रतिरोधक या सांकेतिक भार और किसी भी प्रकार कर लैम्प के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे की फ्लैशर इकाइयों के डिजाइन और विकास लागत में बड़ी बचत होती है।

ग. कार्यक्रम

क. आईकैट ने 19 जून 2024 को बेंगलुरू में निर्माण उपकरण वाहन (सीईवी) निर्माताओं के लिए एक इंटरैक्टिव कार्यशाला जिसका शीर्षक सीईवी स्टेज V: "विनियमन और अवसर" का आयोजन किया। जिसमे विभिन्न सीईवी निर्माताओ के 46 प्रतिभागियों ने भाग लिया। एआईएस 160 भाग 2 विनियमन और सभी संबंधित ग्राहकों को सहायता प्रदान करने के लिए आईकैट की तत्परता पर जोर दिया गया। आईकैट के निदेशक श्री सौरभ दलेला ने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और विषय विशेषज्ञों के साथ प्रतिभागियों के संबंधित प्रश्नों का समाधान किया।

''सीईवी चरण V: विनियमन और अवसर'' पर कार्यशाला

ख. आईकैट ने अरूप और अंसीस के सहयोग से 7 अगस्त 2024 को "सिमुलेशन के साथ अगली पीढ़ी के डिजाइन और विकास को आगे बढ़ाने" के शीर्षक से प्रौद्योगिकी दिवस कार्यक्रम आयोजित किया। जिसमें डिजाइन और विकास के लिए सिमुलेशन तकनीक में नवीनतम प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया गया।

ग. 21 अगस्त 2024 को आईकैट ने मैथवर्क्स के सहयोग से "मॉडल-आधारित डिजाइन(एमबीडी) के माध्यम से विद्युतीकरण व AI अंतर्दृष्टि के साथ सिस्टम सिमुलेशन का एकीकरण" विषय पर एक सेमीनार का आयोजन किया। सेमीनार में ई-मोबिलिटी के लिए एमबीडी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें चार्जिंग स्टेशन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ और इलेक्ट्रिक वहाँ शामिल है।

''मॉडल-आधारित डिजाइन के माध्यम से विद्युतीकरण (एमबीडी)'' पर सेमिनार

घ. चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय निष्क्रिय सुरक्षा सेमिनार (आईपास 2024) 17-18 अकटूबर, 2024 को आईकैट केंद्र-II, मानेसर में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। इस सेमिनार में सड़क सुरक्षा और निष्क्रिय सुरक्षा प्रणालियों में महत्वपूर्ण प्रगति पर चर्चा करने के लिए वैश्विक विशेषज्ञ और उद्योग जगत के अग्रिन लोग एकत्रित हुए। इस कार्यक्रम में आईकैट के अधिकारियों के अलावा 150 से अधिक बाहरी प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

आईपास-2024 का चौथा संस्करण

ड. आईकैट टीम ने 21 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सफलतापूर्वक आयोजन किया।

च. आईकैट ने 27 सितंबर 2024 को अपना 18 वन स्थापना दिवस सफलता एवं विकास में योगदान देने वाली आईकैट की पूरी टीम के समर्पित प्रयासों को सराहते हुए बड़े उत्साह के साथ मनाया।

छ. आईकैट ने 04 अक्टूबर 2024 को ऑटोमोटिव उद्योगों के लिए डिजाइन फॉर सिक्स सिग्मा (डीएफएसएस) पर एक वेबीनार का आयोजन किया।

ज. आईकैट में दिवाली-2024 समारोह 28 अक्टूबर 2024 को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया जिसमें सभी कर्मचारी एक साथ आए तथा आनंद और एकता का एक जीवंत वातावरण बना। इस कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक गातिविधियाँ, उत्सव की सजावट और स्वादिष्ट भोजन शामिल

थे जिसका सभी ने आनंद लिया। यह एक स्मरणीय अवसर था जिसने टीम भवन को बढ़ावा दिया और विविध परंपराओं का जश्न मनाने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाया।

आईकैट में दिवाली-2024 समारोह

झ. 20 दिसम्बर 2024 को आईकैट ने "ड्राइवनेक्स्ट.एआई" निर्वाचिका सभा का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस सम्मेलन में सॉफ्टवेयर डिफाइन्ड वहइक्लेस (एसडीवी), ऑटोमोटिव परिदृश्य में आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स (एएएल), सेल्फ-ड्राइविंग कारों के साथ-साथ ऑटोमोटिव साइबर सुरक्षा और कार्यात्मक सुरक्षा के लिए परिस्थितिकी तंत्र पर चर्चा करने के लिए उद्योग के नवप्रवर्तकों और विशेषज्ञों को एक साथ आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम में ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग के भविष्य पर प्रकाश डालते हुए लाइव ट्रैक प्रदर्शन और प्रदर्शनी भी प्रदर्शित की गई।

ड्राइवनेक्स्ट. एआई कॉन्क्लेव की झलकियाँ

ञ. 20 जनवरी 2025 को, भारत सरकार के माननीय केन्द्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री, श्री एच. डी. कुमारस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केंद्र (आईकैट), मानेसर का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने आईकैट के निदेशक श्री सौरभ दलेला और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक्स लैब और उन्नत ऑटोमोटिव आईटी सेवाओं के लिए उत्कृष्टता केंद्र (एएआईटीएस) की आधारशिला रखि।

मानननीय केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री, भारत सरकार का दौरा

ट. जनवरी 2025 में, आईकैट ने नई दिल्ली में आयोजित भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में भारत के किसानों को सशक्त बनाने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए रूपांकित की गई अपनी अत्याधुनिक परीक्षण एवं विकास सेवाओं, स्वदेशी सुविधाओं और उपकरणों का प्रदर्शन किया।

ठ. राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के 100 दिनों के अभियान के हिस्से के रूप में आईकैट ने जनवरी और फरवरी 2025 में तीन दिनों के लिए सभी कर्मचारियों के लिए जागरूकता निर्माण सत्र और स्वास्थ्य जांच नि-क्षय शिविर का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के दौरान 744 प्रतिभागियों की स्वास्थ्य जांच की गई।

आईकैट में स्वास्थ्य जांच निक्षय शिविर का आयोजन

ड़. आईकैट ने ई-रीक्शा/ई-कार्ट/2w-बीओवी/3w-बीओवी ग्राहकों को डब्लूवीएससीओपी के अनुपालन हेतु सुविधा और सहायता प्रदान करने हेतु 12 फरवरी 2025 को डब्लूवीएससीओपी पर एक छोटा "आईकैट-कनेक्ट" कार्यक्रम आयोजित किया।

ढ. आईकैट ने 23 जनवरी 2025 को ऑटोमोटिव साइबर सुरक्षा पर एक वेबीनार आयोजन किया।

ण. आईकैट ने आईएफसीआई के सहयोग से एमएचआई के संरक्षण में क्रमंश: 07 मार्च और 11 मार्च 2025 को एफआईसीसीई, नई दिल्ली में पीएम ई-ड्राइव और पीएलआई ऑटो योजना के लिए हितधारक परामर्श कार्यक्रम आयोजित किए।

II. **वैश्विक मोटर वाहन अनुसंधान केंद्र (जीएआरसी) चेन्नई, तमिलनाडु:** जीएआरसी भारी उद्योग मंत्रालय के अधीनस्थ एक प्रमुख परीक्षण एजेंसी है जो व्यापक परीक्षण, सत्यापन और प्रमाणन के माध्यम से मोटरवाहन उद्योग को आगे बढ़ाने को समर्पित है। जीएआरसी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रमाणित, सीएमवी नियम 126 के तहत अधिकृत परीक्षण केंद्रों में से एक है। जीएआरसी ने सीएमवीआर के अनुसार उद्योगों को संघटकों के लिए टाइप अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी किए हैं। ऑटोमोटिव अनुसंधान और विकास पारितंत्र के एक अभिन्न अंग के रूप में, जीएआरसी वाहनों और उनके घटकों के विभिन्न पहलुओं का परीक्षण करने के उद्देश्य से कई प्रकार की सेवा सुविधाएं प्रदान करता है। इन सेवाओं में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय- दोनों विनियमों के साथ ऑटोमोबिल की समग्र विश्वसनीयता और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा मूल्यांकन, उत्सर्जन परीक्षण और निष्पादन आकलन शामिल हैं।

जीएआरसी, चेन्नई

i. केंद्र निम्नलिखित क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के रूप में विकसित हुआ है:

- विद्युत-चुम्बकीय अंत:क्षेप और विद्युत-चुम्बकीय संगतता (ईएमसी/ईएमआई)
- उन्नत निष्क्रिय सुरक्षा (एपीएसएल)
- इन्फोट्रॉनिक्स

ईएमसी परीक्षण प्रयोगशाला

ii. जीएआरसी ऑटोमोबाइल निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं को विभिन्न परीक्षण और मूल्यांकन सेवाएँ प्रदान कर रहा है। जीएआरसी उन्नत परीक्षण उपकरणों और पद्धतियों का उपयोग करके दक्षिण भारत के ऑटोमोटिव उद्योग हब ओरगडम, चेन्नई में स्थित अपनी सुविधाओं में विभिन्न ऑटोमोबाइल घटकों की सुरक्षा, प्रदर्शन और गुणवत्ता का मूल्यांकन करता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान जीएआरसी द्वारा निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियाँ पूरी की गईः

क. समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षर

क. मई 2024 में, जीएआरसी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मद्रास रिसर्च पार्क के सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन एनर्जी एंड टेलीकम्युनिकेशंस (सीईईटी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता ज्ञापन इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) में नवाचार और प्रगति को बढ़ावा देने के लिए एक-दूसरे की विशेषज्ञता और संसाधनों का लाभ उठाने के उद्देश्य से एक सहयोगी प्रयास की शुरुआत का प्रतीक है।

एमओयू - जीएआरसी और सीईईटी-आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क के बीच

ख. जून 2024 में, जीएआरसी ने हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (मानित विश्वविद्यालय) के साथ क्रमश: इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और स्मार्ट मोबिलिटी में विशेषज्ञता वाले उद्योग एकीकृत बी.टेक और एम.टेक कार्यक्रमों के संचालन में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इन कार्यक्रमों के माध्यम से छात्र उद्योग की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप सैंद्धातिक और व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करेंगे।

एमओयू - जीएआरसी और हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, चेन्नई के बीच

ग. जीएआरसी ने अपनी सुविधाओं की क्षमता को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बढ़ाने और निर्यात समरूपण को संयुक्त रूप से संचालित करने हेतु टीयूवी राइनलैंड के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया। यह समझौता ज्ञापन एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो जीएआरसी को भविष्य में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ऑटोमोटिव ग्राहकों की सेवा करने के लिए तैयार करेगा।

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर - टीयूवी राइनलैंड के साथ सहयोग

घ. टेक्नोलॉजी हब ऑन ऑटोनॉमस नेविगेशन फाउंडेशन-भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद (टीआईएचएएन -आईआईटी हैदराबाद) के साथ 6 दिसंबर 2024 को आईआईटी हैदराबाद परिसर में समझौता ज्ञापन (एमओयू)पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता ज्ञापन (एमओयू); डॉ. ए. एस.रामदास, निदेशक जीएआरसी और प्रो. पी. राजलक्ष्मी, परियोजना निदेशक, टीआईएचएएन -आईआईटी हैदराबाद के बीच हस्ताक्षरित हुआ। इसका उद्देश्य स्वायत्त नेविगेशन, उन्नत चालक सहायता प्रणाली (एडीएएस) और उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकीयों के क्षेत्र में सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देना है।

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर - भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद के साथ सहयोग

ड़. जीएआरसी ने **मेसर्स ऑटोमोटिव टेस्ट सिस्टम्स (एटीएस)** के साथ भारत के ऑटोमोटिव परीक्षण और सत्यापन पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन पर 6 फरवरी 2025 को जीएआरसी के निदेशक डॉ. ए.एस. रामदास और एटीएस के प्रबंध निदेशक श्री रामनाथन श्रीनिवासन ने हस्ताक्षर किए।

जीएआरसी और ऑटोमोटिव परीक्षण प्रणालियों के बीच समझौता ज्ञापन

ख. वर्ष के दौरान लागू की गई नई परीक्षण सुविधाएँ:

क. जीएआरसी ने गिरती वस्तुओं के सुरक्षात्मक ढांचे के प्रदर्शन परीक्षण हेतु आंतरिक परीक्षण सुविधाएँ विकसित की हैं, ताकि एआईएस 160 के अंतर्गत आईएस 3449:2005 के अनुसार निर्माण उपकरणों के नए विनियमों का अनुपालन किया जा सके। साथ ही, यही सुविधा-18° सेल्सियस तापमान पर निर्यात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी उपयोग की जा रही है।

निर्माण उपकरणों के प्रदर्शन परीक्षण की तस्वीर-फैटिग लैब में

ख. जीएआरसी ने ऑपरेटर शोर और मशीन शोर की ध्वनि शक्ति स्तर के मापन हेतु स्थिर और गतिशील स्थितियों में इन-हाउस परीक्षण सुविधाएँ विकसित की हैं। यह परीक्षण आईएस/आईएसओ 6393:2008, आईएस/आईएसओ 6394:2008, आईएस/आईएसओ 6395:2008, और आईएस/आईएसओ 6396:2008 मानकों के अनुरूप पृथ्वी-गतिशील मशीनरी के लिए किया गया है, और इसके लिए जीएआरसी ने सीएमवीआर प्रदर्शन प्रमाणपत्र जारी किया है।

ध्वनि दबाव स्तर के लिए नई परीक्षण सुविधाएं

ग. जीएआरसी ने आईएस/आईएसओ 3471:2008 के अनुसार रोल ओवर-प्रोटेक्शन टेस्ट के लिए आंतरिक परीक्षण सुविधाएं विकसित की हैं, ताकि नए सीवी-5 विनियमन को पूरा किया जा सके।

रोल ओवर-प्रोटेक्शन परीक्षण के लिए आंतरिक परीक्षण सुविधाएं

घ. 27 मार्च 2025 को वैश्विक मोटर वाहन अनुसंधान केन्द्र (जीएआरसी), चेन्नई में बीएस VI इंजन/वाहन स्तर मूल्यांकन-एथेनॉल ब्लेंडेड डीजल परियोजना का फ्लैग-ऑफ समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर डॉ. आलोक शर्मा, निदेशक (आर-डी) आईओसीएल, और डॉ. ए. एस. रमदास, निदेशक जीएआरसी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस आयोजन में जीएआरसी, आईओसीएल और उद्योग विशेषज्ञों की टीमें उपस्थित रहीं। यह आयोजन सतत गतिशीलता और वैकल्पिक ईंधन प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, जो हरित और कुशल ऑटोमोटिव भविष्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है।

बीएस VI इंजन/वाहन परियोजना का फ्लैग-ऑफ समारोह

ङ. जीएआरसी ने अन्य एजेंसी परिसरों में परीक्षण साक्ष्य शुरू किया है। जीएआरसी की इलेक्ट्रिक वाहन प्रयोगशाला टीम ने चीन में स्थित मेसर्स चाइना मर्चेंट्स टेस्टिंग व्हीकल टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कंपनी लिमिटेड (सीएमवीआर), का दौरा किया और एक भारतीय बस निर्माता के लिए एआईएस 041 टेस्ट मानक के अनुसार मोटर परीक्षण का निरीक्षण किया। यह पहली बार था जब जीएआरसी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार का परीक्षण साक्ष्य पूरा किया।

सीएमवीआर, चीन में टेस्ट साक्ष्य की तस्वीर

च. मेसर्स नेक्सिस द्वारा आपूर्ति किए गए नए एयरबैग डिप्लॉयमेंट प्रणाली की स्थापना और कमीशनिंग जीएआरसी में सफलतापूर्वक पूरी की गई।

छ. जीएआरसी के 18वें स्थापना दिवस के अवसर पर, डॉ. ए. एस. रामदास, निदेशक जीएआरसी ने केंद्रीकृत ग्राहक लाउंज और एमएसएमई/स्टार्टअप तकनीकी सहायता प्रकोष्ठ का उद्घाटन किया। यह सुविधा भारत सरकार की एमएसएमई और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने की पहल के अंतर्गत स्थापित की गई है।

ग. आयोजन एवं कार्यशालाएँ:

क. जीएआरसी ने 9 सितंबर 2024 को विश्व ईवी दिवस मनाया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों के उद्योग विशेषज्ञों ने इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर क्षेत्र पर अपने विचार साझा किए। इस कार्यक्रम में उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों से कई प्रतिभागियों ने भाग लिया।

ख. जीएआरसी ने अपने परिसर में एडीएएस पर एक सम्मेलन 19 सितंबर 2024 को आयोजित किया। इस सम्मेलन में उद्योग और शिक्षा विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी व्याख्यान दिए गए तथा जीएआरसी के परीक्षण ट्रैकों पर एडीएएस का प्रायोगिक प्रदर्शन भी आयोजित किया गया। यह आयोजन रेनॉल्ट निसान (आरएनटीबीसीआई) और ऑटोमोटिव टेस्ट सिस्टम्स के सहयोग से किया गया।

एडीएएस सम्मेलन

ग. वाहनों में बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक घटकों के उपयोग को ध्यान में रखते हुए, जीएआरसी ने आईआईटी मद्रास के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स केंद्र के सहयोग से ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स पर दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें ऑटोमोटिव उद्योग और शिक्षा संस्थानों से 35 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला में तकनीकी सत्रों के साथ प्रतिभागियों ने ईवी मोटर इंटरफेस और ईएमआई/ईएमसी परीक्षण के तकनीकी प्रदर्शन के बारे में भी जानकारी प्राप्त की।

घ. जीएआरसी ने भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 और ऑटो कंपोनेंट शो में भाग लिया, जो नई दिल्ली में 17 से 22 जनवरी 2025 तक आयोजित हुए।

ङ एसएई इंडिया उत्तरी खंड ने उद्योग के अग्रणी संगठनों के सहयोग से **"मोशन इन कंट्रोल-IV 2025"** नामक दो दिवसीय आयोजन 6-7 फरवरी 2025 को जीएआरसी परिसर में सफलतापूर्वक आयोजित किया। इस दो दिवसीय कार्यक्रम में कलपुर्जा निर्माता, कंपोनेंट निर्माता, परीक्षण उपकरण आपूर्तिकर्ता और शैक्षिक विशेषज्ञ एक साथ आए। वाहन गतिकी और एडीएएस (उन्नत चालक सहायता प्रणाली) में नवीनतम विकास पर चर्चा करने के लिए एक साथ आए।

मोशन इन कंट्रोल-IV 2025 कार्यक्रम की झलक

घ. मान्यता :

डॉ. ए. एस. रामदास, निदेशक-जीएआरसी को ऊर्जा क्षेत्र में विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में शामिल किया गया है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने एल्सेवियर के सहयोग से विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की वार्षिक सूची प्रकाशित की है, जो शोध प्रभाव और उद्धरणों पर आधारित है। यह डेटाबेस मानकीकृत उद्धरण संकेतकों जैसे उद्धरण संख्या, एच-इंडेक्स, सह-लेखकता और समग्र सूचकांक के आधार पर तैयार किया गया है। यह विश्लेषण स्कोपस से प्राप्त उद्धरणों के डेटा पर आधारित है और इसमें वैज्ञानिकों के करियर-लॉन्ग उद्धरण प्रभाव का भी मूल्यांकन किया गया है।

ङ. प्रमाणन गतिविधियाँ :

जीएआरसी-एचटी सेल ने अपनी होमोलोगेशन गतिविधियों का पुनर्गठन किया है और निम्नलिखित श्रेणियों में पूर्ण वाहन प्रकार स्वीकृति जारी की है, एम 3, एन3जी, निर्माण उपकरण वाहन, इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर, 2W एलपीजी रेट्रोफिटमेंट, 2W और 3W आईसीई, 3W रेट्रोफिटमेंट वाहन जीएआरसी ने निम्नलिखित ओईएम (मूल उपकरण निर्माता) के लिए सीएमवीआर पूर्ण वाहन होमोलोगेशन प्रमाणपत्र जारी किए हैं: रॉयल एनफील्ड, स्विच, इमोबी, ग्रीव्स, केआर ट्रांस एनआरजी (टीवीएस जुपिटर, होंडा एक्टिवा),

टीवीएस, जीरो 21, 3ईवी, प्रोपेल 8 x 4, एजेडएडी 12 एम, एक्ससीएमएम और बीयूएलएल।

उपरोक्त प्रमाणन में जीएआरसी ने पहली बार निम्नलिखित प्रमाणन जारी किए हैं: मेसर्स एजेडएडी के लिए एम 3 बस प्रमाणन, मेसर्स प्रोपेल के लिए 3जी 8 एक्स 4 टिपर प्रमाणन, मेसर्स बीयूएलएल के लिए पहला सीईवी प्रमाणन। इसके अतिरिक्त, होमोलोगेशन व्यवसाय को बढ़ावा देने हेतु जीएआरसी ने एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं/सुविधाओं में होमोलोगेशन और घटक परीक्षण की गवाही शुरू की है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 350+ अनुमोदन परीक्षण रिपोर्ट (टाइप अप्रूवल टेस्ट रिपोर्ट्स) (जिसमें पीएलआई योजनाएँ शामिल हैं) जारी की गई और कुल 11 पूर्ण वाहन होमोलोगेशन प्रमाणपत्र जारी किए गए।

च. पीएलआई :

जीएआरसी ने एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (एएटी) से संबंधित उत्पादों के लिए कुल 11 पीएलआई डीएवी प्रमाणपत्र दो प्रमुख एएटी घटक (कंपोनेंट) निर्माताओं को जारी किए मेसर्स सोना बीएलडब्ल्यू फोर्जिंग्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स डेल्फी टीवीएस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड. ये प्रमाणपत्र इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) दो-और तीन-पहिया ड्राइव मोटर, मोटर नियंत्रकों तथा कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन पंप से संबंधित उत्पादों के लिए जारी किए गए।

छ. एनएबीएल नवीनीकरण मान्यता:

जीएआरसी को एनएबीएल से नवीनीकरण मूल्यांकन प्रमाणपत्र 25 फरवरी 2025 को प्राप्त हुआ, जो 24 फरवरी 2029 तक मान्य है। अब जीएआरसी को 399 स्कोप्स के साथ एनएबीएल मान्यता प्राप्त है।

ज. प्रशिक्षण एवं उत्सव कार्यक्रम:

क. भारत सरकार ने 100-दिवसीय टीबी उन्मूलन जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस अभियान के अंतर्गत, जीएआरसी परिसर में सूचनात्मक सामग्री प्रदर्शित की गई ताकि जागरूकता बढ़ाई जा सके।

टीबी जागरूकता कार्यक्रम

ख. कार्यस्थल की सुरक्षा जीएआरसी की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से 18 अप्रैल 2024 को जीएआरसी ने अग्नि सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में कर्मचारियों को अग्नि रोकथाम और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रक्रियाओं के बारे में व्यावहारिक ज्ञान और उपयोगी जानकारी दी गई। विभिन्न प्रयोगशालाओं और विभागों के अधिकारी इस प्रशिक्षण में शामिल हुए।

अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम

ग. राष्ट्रव्यापी स्वच्छता पहल के अंतर्गत, जीएआरसी ने 16 से 31 अगस्त 2024 तक स्वच्छता पखवाड़ा सफलतापूर्वक आयोजित किया। इसका उद्देश्य था-स्वच्छता, स्वास्थ्य और कर्मचारियों में जागरूकता को बढ़ावा देना। कार्यक्रम के दौरान जीएआरसी परिसर की सफाई और रखरखाव से संबंधित कई गतिविधियाँ आयोजित की गई। इस वर्ष की थीम थी- 'स्वच्छ और हरित भारत (क्लीन एंड ग्रीन इंडिया)' और 'अपशिष्ट से धन (वेस्ट टू वेल्थ)'।

स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम

घ. स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत आयोजित वार्षिक पहल "स्वच्छता ही सेवा 4.0" का उद्देश्य स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा देने और बनाए रखने में पूरे भारत में लोगों को सक्रिय रूप से शामिल करना है। अक्टूबर माह में जीएआरसी ने इस पहल के समर्थन में कई महत्वपूर्ण गतिविधियाँ आयोजित की।

स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम

ड. केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने तीन माह की सतर्कता जागरूकता मुहिम शुरू की, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी को सार्वजनिक प्रशासन में बढ़ावा देना था। इसके अंतर्गत जीएआरसी के मानव संसाधन एवं प्रशासन विभाग ने निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए:

- साइबर स्वच्छता-17/10/2024 (ऑनलाइन)
- खरीद प्रक्रिया और कार्यप्रणाली-24/10/2024(ऑफलाइन)
- सामान्य सतर्कता जागरूकता-25/10/2024 (ऑनलाइन) ये सभी प्रशिक्षण **सीवीसी के तीन माह के अभियान** के अंतर्गत कर्मचारियों के लिए आयोजित किए गए।

खरीद प्रक्रिया और कार्यविधिपर प्रशिक्षण

च. जीएआरसी ने अपने **18वें स्थापना दिवस** को बड़े उत्साह और गर्व के साथ मनाया। इस अवसर पर संगठन की उल्लेखनीय यात्रा, उपलब्धियों और ऑटोमोटिव क्षेत्र में योगदान का जश्न मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान 5, 10 और 15 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों को दीर्घ सेवा सम्मान प्रदान किए गए।

18वें स्थापना दिवस का समारोह

छ. 28 अक्टूबर से 2 नवम्बर 2024 तक राष्ट्रव्यापी सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। इस वर्ष की थीम थी– 'भ्रष्टाचार को ना कहें; ईमानदारी के प्रति प्रतिबद्ध रहें'। इस सप्ताह का उद्देश्य था–सभी क्षेत्रों में ईमानदारी, पारदर्शिता और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना, तथा सभी कर्मचारियों और संगठनों को भ्रष्टाचार के खिलाफ सक्रिय रुख अपनाने के लिए प्रेरित करना। जीएआरसी के कर्मचारियों ने इस अवसर पर अपनी नैतिकता और पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता को पुनः सुदृढ़ किया।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024

III. **राष्ट्रीय ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक (नैट्रेक्स) इंदौर-मध्यप्रदेशः** नैट्रेक्स केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) के नियम संख्या 126 के तहत एक अधिसूचित परीक्षण एजेंसी है। नैट्रेक्स नैट्रिप के तहत अत्याधुनिक ऑटोमोटिव परीक्षण, अनुसंधान और विकास तथा प्रमाणन केंद्रों में से एक है। नैट्रेक्स के पास व्यापक परीक्षण सुविधा है और यह ऑटोमोटिव उद्योग के लिए वैश्विक स्तर पर वाहन गतिशीलता, प्रमाणन और अनुसंधान व विकास परियोजनाओं के विकास के लिए परीक्षण ट्रैक और वाहन गतिकी प्रयोगशाला (वीडीवाई), जो उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के साथ मे विकसित हुई है, इन जैसी अपनी जमीनी सुविधाओं के माध्यम से एकल केंद्र समाधान प्रदान करता है। नैट्रेक्स प्रूविंग ग्राउंड्स भारतीय और वैश्विक मानकों के अनुसार 2/3 पहिया वाहनों से लेकर भारी वाणिज्यिक वाहनों तक सभी श्रेणियों के वाहनों के लिए विश्वस्तरीय व्यापक वाहन परीक्षण और मूल्यांकन सेवाएं प्रदान करता है। नैट्रेक्स भारत सरकार की पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के परीक्षण, प्रमाणन और विकास के लिए बुनियादी सुविधाएं भी स्थापित कर रहा है। नैट्रेक्स देश में सड़क सुरक्षा बुनियादी ढांचे की सुविधा के लिए क्रैश बैरियर परीक्षण सुविधा स्थापित करने वाला देश का पहला केंद्र बन गया है। इसी तरह, सड़क सुरक्षा के लिए एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम (एडीएएस) सुविधाओं का परीक्षण भी शुरू हो गया है।

नैट्रेक्स, इंदौर

i. उद्योग में विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप, नैट्रेक्स ने इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरियों के विकास, परीक्षण और प्रमाणन के लिए आवश्यक अवसंरचना और सुविधाएँ स्थापित की हैं। इसके साथ ही, आगामी नियमों के अनुसार एडीएएस परीक्षण सुविधाएँ भी स्थापित की गई हैं। नैट्रेक्स को प्रमाणन परीक्षणों के लिए आईएसओ 17025: 2017 के तहत मान्यता प्राप्त है, जिसमें क्रैश बैरियर प्रमाणन (ईएन-1317) भी शामिल है। नैट्रेक्स को वाहन गतिकी में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया गया है। यह विश्व स्तरीय ऑटोमोटिव प्रूविंग ग्राउंड विभिन्न प्रकार की सतहों से लैस है, जिससे वाहनों का परीक्षण विभिन्न भू-भाग और कठिन परिस्थितियों में किया जा सकता है। लगभग 2960 एकड़ क्षेत्र में फैला नैट्रेक्स प्रूविंग ग्राउंड एशिया के सबसे बड़े प्रूविंग ग्राउंड्स में से एक है।

वाहन गतिकी (वी.डी.वाई.)

ii. नैट्रेक्स ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विभिन्न गतिविधियाँ पूरी कीं:

क. नैट्रेक्स में नई परीक्षण सुविधाओं का उद्घाटन:

क. नैट्रेक्स में अद्वितीय कट और चिप टायर टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन डॉ. हनीफ कुरैशी, आईपीएस, अतिरिक्त सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय, ने श्री सुधेंदु जे. सिन्हा, वरिष्ठ सलाहकार, नीति आयोग की उपस्थिति में किया। यह अद्वितीय टेस्ट ट्रैक अपोलो टायर्स लिमिटेड के सहयोग से बनाया गया है और इसका उद्देश्य टायर की कट और चिप प्रतिरोधक क्षमता का परीक्षण और सत्यापन करना है, जिसे वास्तविक परिस्थितियों की नकल करते हुए स्प्लिट म्यू सतह और ढालों के माध्यम से लगातार मापा जा सके।

नैट्रेक्स में अद्वितीय कट और चिप टायर परीक्षण ट्रैक का उद्घाटन

ख. सीएई प्रयोगशाला ने कई महत्वपूर्ण मूल्यांकन प्रक्रियाओं को जोड़कर अपने परीक्षण पोर्टफोलियो को काफी बढ़ाया है। ये नई क्षमताएँ विशेष रूप से वाणिज्यिक और पैसेंजर बसों के वाहनों के व्यापक सुरक्षा और संरचनात्मक मूल्यांकन का समर्थन करने के उद्देश्य से विकसित की गई हैं। ये संवर्द्धन सीएई विभाग की

क्षमताओं को विस्तार देने में एक महत्वपूर्ण कदम हैं, जो उद्योग की नियामक अनुपालन आवश्यकताओं, उन्नत सुरक्षा सत्यापन और उन्नत सिमुलेशन-आधारित परीक्षण विधियों की जरूरतों का समर्थन करते हैं।

ग. नैट्रेक्स ने हाल ही में अत्याधुनिक ईवी प्रयोगशाला स्थापित की है, जो इलेक्ट्रिक दो-पहिया और तीन-पहिया वाहनों के साथ-साथ इन वाहनों में प्रयुक्त कर्षण बैटरियों के परीक्षण और प्रमाणन के लिए समर्पित है। इस ईवी प्रयोगशाला को नवीनतम परीक्षण तकनीकों और उन्नत सॉफ्टवेयर से पूरी तरह सुसज्जित किया गया है, जिससे उच्च-सटीकता परीक्षण सुनिश्चित हो सके। नैट्रेक्स की ईवी लैब ई-2W और ई-3W वाहनों के परीक्षण और प्रमाणन के लिए व्यापक सुविधाएँ प्रदान करती है और कर्षण बैटरियों के लिए एआईएस:156 मानकों के पूर्ण अनुपालन में है। प्रयोगशाला में सभी परीक्षण प्रणाली और सेटअप हाल ही में स्थापित किए गए हैं और ये इलेक्ट्रिक वाहन सत्यापन के लिए आवश्यक नवीनतम विनिर्देशों के अनुरूप हैं। नैट्रेक्स को आईएसओ:17025 के अनुसार एनएबीएल मान्यता प्राप्त है, जो ईवी परीक्षण और प्रमाणन में गुणवत्ता, सटीकता और विश्वसनीयता के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

घ. नैट्रेक्स ने इस वर्ष एडवांस्ड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (एएनपीआर) प्रणाली और ओवरस्पीड ट्रैफिक उल्लंघन पहचान प्रणाली का परीक्षण प्रारंभ किया है। इस क्षमता के साथ, नैट्रेक्स देश भर में स्मार्ट और सुरक्षित परिवहन नेटवर्क के विकास में योगदान देने की स्थिति में है।

ख. इस वर्ष की विशेष पहल / कार्यक्रमः

क. नैट्रेक्स ने भारी उद्योग मंत्रालय के संरक्षण में पहली बार अपने प्रकार की लीडरशिप कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य भारतीय परीक्षण एजेंसियों को परीक्षण, प्रमाणन और सह-विकास के लिए वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा पर चर्चा करना था। इस सम्मेलन में एसआईएएम, एसीएमए और एटीएमए के वरिष्ठ नेतृत्व, छह परीक्षण एजेंसियों (एआरएआई, आईकैट, जीएआरसी, आईआरएमआरआई और नैट्रेक्स) के निदेशक, उद्योग, एकेडमियां और प्रौद्योगिकी कंपनियों के वरिष्ठ नेता उपस्थित थे।सम्मेलन के मुख्य अतिथि डॉ. हनीफ कुरैशी, अपर सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय, ने बताया कि किस प्रकार एमएचआई द्वारा प्रमुख नीतियाँ विभिन्न हितधारकों के निकट सहयोग से भारतीय ऑटोमोटिव इकोसिस्टम में विद्युतीकरण और स्थानीयकरण को आकार दे रही हैं। माननीय अतिथि श्री सुधेंदु जे. सिन्हा ने जोर देकर कहा कि अब समय आ गया है कि परीक्षण एजेंसियाँ अपना वैश्विक प्रभाव बढ़ाएँ। डॉ. मनीष जायसवाल ने बताया कि नैट्रेक्स ने परिवर्तन की अपनी राह शुरू कर दी है और अन्य परीक्षण एजेंसियों, उद्योगों और एकेडमियां के साथ मिलकर संघ ढांचा बनाने के लिए तैयार है, जिससे परीक्षण एजेंसियाँ वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभर सकें और आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो सके।

सम्मेलन "भारतीय परीक्षण संस्थाओं की वैश्विक उपस्थिति - आगे का मार्ग"

ख. नैट्रेक्स और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), कानपुर ने 15 अप्रैल, 2024 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। नैट्रेक्स के निदेशक और आईआईटी-कानपुर के डीन (आरएवंडी) ने वाहन उत्सर्जन के क्षेत्र में इस सहकारी साझेदारी की घोषणा करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की। इस रणनीतिक सहयोग का उद्देश्य उत्सर्जन मानदंडों, विशेष रूप से नवीनतम ईयू मानकों के अनुसार कार्य करना और ज्ञान साझा करना है, ताकि उद्योग द्वारा भविष्य में उपयोग किए जाने वाले नवोन्मेषी समाधान विकसित किए जा सकें। इस साझेदारी का लक्ष्य बैटरियों के निपटान, इंजन और फ्लेक्स ईंधन, तथा परिवहन से संबंधित सुरक्षा पर नए नियमों के निर्माण में भी योगदान देना है। इसके अलावा, दोनों पक्षों ने यह सहमति व्यक्त की कि आईआईटी कानपुर के एम.टेक छात्रों के लिए नैट्रेक्स में प्रशिक्षण कार्यक्रम की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

नैट्रेक्स और आईआईटी कानपुर के बीच समझौता पत्र (एमओयू)

ग. नैट्रेक्स ने 24-25 अप्रैल 2024 को पास-बाय-नॉइज माप उपकरण और सॉफ्टवेयर पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसका संचालन सिमेन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य वास्तविक ड्राइविंग परिस्थितियों में वाहनों के ऑन-फील्ड शोर मापन के लिए नवीनतम और अत्याधुनिक परीक्षण विधियों, सॉफ्टवेयर, उपकरण और मानकों के बारे में प्रशिक्षण देना था। यह कार्यशाला ओईएमएस, घटक निर्माता और टायर कंपनियों के लिए लक्षित थी और इसमें विभिन्न संगठनों से 30 से अधिक सक्रिय प्रतिभागियों ने भाग लिया।

घ. नैट्रेक्स ने 3 जून 2024 को इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (आईएसीई) के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। आईएसीई, जो गुजरात सरकार और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम है, पहले से ही इंजीनियरों और तकनीशियनों को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए अत्याधुनिक तकनीक और प्रणालियों का उपयोग करके ऑटोमोटिव इकोसिस्टम की सेवा कर रहा है। यह साझेदारी नैट्रेक्स की कौशल विकास और ज्ञान साझा करने की योजनाओं का समर्थन करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी, वाहन गतिकी, एडीएएस, सड़क सुरक्षा, टायर तकनीक, वाहन उत्सर्जन, सततता और ड्राइवर प्रशिक्षण जैसी व्यापक क्षेत्रों में सहयोग शामिल है।

ङ. विश्व पर्यावरण दिवस को उत्साहपूर्वक मनाया गया, जिसमें 100 से अधिक पेड़ लगाए गए जैसे पीपल, बरगद, नीम, शीशम और आंवला। कर्मचारियों ने वर्ष की थीम के अनुरूप भूमि पुनर्स्थापना, मरुस्थलीकरण और सूखा प्रतिरोधकता के प्रति महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा ली और पृथ्वी को बेहतर बनाने के अपने संकल्प को और मजबूत किया।

च. 14 जून 2024 को नैट्रेक्स ने स्वामित्व, जवाबदेही और संघर्ष समाधान पर केंद्रित एक सत्र आयोजित किया। इस कार्यक्रम में परस्पर संवादात्मक गतिविधियाँ, जीवंत चर्चा और रचनात्मक विचार-विमर्श सत्र शामिल थे।

छ. नैट्रेक्स ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक समृद्धि कार्यक्रम आयोजित किया, जिसका विषय था ''स्व और समाज के लिए योग''। सत्र में तनाव प्रबंधन तकनीक और मुख्य ध्यान अभ्यास शामिल

थे, जिसने नैट्रेक्स कर्मचारियों को विश्राम और व्यक्तिगत विकास के लिए अमूल्य उपकरण प्रदान किए। यह सभी प्रतिभागियों के लिए एक गहन अनुभव था, जिसने उनके कल्याण और मानसिक सतर्कता की भावना को बढ़ाया।

ज. नैट्रेक्स के लिए अपने स्थापना दिवस (29 जून) को कर्मचारियों और ग्राहकों की उपस्थिति में मनाना गर्व का क्षण था। इस अवसर पर नैट्रेक्स ने डायनामिक ट्रैक पर छोटे वाहन परेड का आयोजन किया, उसके बाद नैट्रेक्स लोगो को क्रमिक रूप से बनाने के लिए कील और डोरी का टीम अभ्यास किया गया और विशेष रूप से डिजाइन किए गए केक कटिंग का आयोजन किया गया।

झ. 26 जुलाई 2024 को, बैंगलोर में आईपीजी ऑटोमोटिव इंडिया के भव्य उद्घाटन के अवसर पर एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। यह सहयोग सिमुलेशन वातावरण का उपयोग करके वाहनों और घटकों के वर्चुअल परीक्षण और विकास की सीमाओं को आगे बढ़ाने का उद्देश्य रखता है। इसके अतिरिक्त, इसका उद्देश्य स्वायत्त ड्राइविंग, तकनीकी परियोजनाओं, प्रशिक्षण और परामर्श में सहयोग को बढ़ावा देना है, जो उद्योग और इकोसिस्टम की आवश्यकताओं के अनुरूप हो।

नैट्रेक्स और आईपीजी ऑटोमोटिव इंडिया के बीच समझौता पत्र (एमओयू)

ञ. भारत सरकार द्वारा संचालित विकसित भारत संकल्प यात्रा पहल के अनुरूप और विक्रेता आधार बढ़ाने के उद्देश्य से, नैट्रेक्स की खरीद विभाग ने अपना पहला विक्रेता बैठक आयोजित किया, जिसमें लगभग 100 विक्रेताओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में ऑन-स्पॉट विक्रेता पंजीकरण, स्टार्टअप और एमएसएमई के लिए छूट के साथ जीईएम पोर्टल की व्यापक जानकारी, सरकारी खरीद प्रक्रिया के बारे में जानकारी और इंटरएक्टिव प्रश्नोत्तर सत्र शामिल थे।

ट. नैट्रेक्स ने 23 जुलाई को हिंदी कार्यशाला आयोजित करने की महत्वपूर्ण पहल की, ताकि आधिकारिक कार्यों में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके, जो संसद की आधिकारिक भाषा समिति की अपेक्षाओं के अनुरूप थी। सीखने को प्रभावी बनाने के लिए कार्यशाला में हिंदी व्याकरण और उसकी बारीकियों से शुरुआत की गई। कार्यशाला को रोचक बनाने के लिए प्रश्नोत्तरी, समूह अभ्यास, इंटरएक्टिव सत्र, प्रतियोगिताएँ और अंत में पुरस्कार वितरण जैसे कई गतिविधियाँ शामिल की गई। भविष्य में इसी उद्देश्य के लिए और कार्यशालाएँ आयोजित की जाएंगी। 14 से 27 सितंबर तक नैट्रेक्स ने हिंदी भाषा की समृद्धि को सक्रिय गतिविधियों की श्रृंखला के माध्यम से अपनाया। इस पहल में हिंदी व्याकरण पर ज्ञान साझा करने के सत्र, कर्मचारियों को हिंदी पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना और प्रेरक निबंध लेखन प्रतियोगिता शामिल थी। हमारी टीम की उत्साही भागीदारी न केवल उनके रुचि को दर्शाती है बल्कि हिंदी के प्रति गहरी सराहना भी बढ़ाती है।

ठ. नैट्रेक्स ने स्पेशल कैंपेन 4.0 और स्वच्छता ही सेवा के तहत स्वच्छता मिशन को सक्रिय रूप से लागू किया। इस अभियान में स्वच्छता प्रतिज्ञा का आयोजन, "एक पेड़ माँ के नाम" गतिविधि के माध्यम से वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, और विभिन्न स्वच्छता लक्षित इकाइयों की पहचान कर उन्हें पुनर्जीवित करना शामिल था। हमारी समर्पित टीम ने इन पहलों में सक्रिय रूप से भाग लिया, जनकल्याण योजना की भावना का पालन किया और सभी के लिए एक स्वच्छ और हरित भविष्य बनाने में योगदान दिया।

नैट्रेक्स में विशेष अभियान 4.0

ड. नैट्रेक्स ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), केंद्रीय इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च संस्थान (सीईसीआरआई) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। यह एमओयू सीईसीआरआई कैंपस, कराइकोड़ी, तमिलनाडु में सीएसआईआर की 83वीं स्थापना वर्षगांठ के विशेष अवसर पर किया गया।

सीएसआईआर-सीईसीआरआई के साथ समझौता पत्र (एमओयू)

ढ़ नैट्रेक्स ने सड़क सुरक्षा प्रबंधन केंद्र के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए, ताकि सड़क सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया जा सके। इस साझेदारी का उद्देश्य सड़क सुरक्षा हस्तक्षेप, संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएँ, सर्वेक्षण, नीति वकालत, शैक्षिक कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, सेमिनार और कार्यशालाएँ आयोजित करना है, जिसका समग्र लक्ष्य सड़क सुरक्षा के चार ई में प्रभावशाली और सतत बदलाव लाना है।

ण. 28 अक्टूबर से 3 नवम्बर 2024 तक आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह के पूर्वाभ्यास के रूप में, नैट्रेक्स में 16 अगस्त से 15 नवम्बर 2024 तक विशेष सतर्कता अभियान मनाया गया। इस अभियान के दौरान दो प्रशिक्षण-सतर्कता सत्र आयोजित किए गए। इन सत्रों का उद्देश्य हमारी टीम को सतर्कता के महत्व के बारे में शिक्षित करना और यह बताना था कि हम सामूहिक रूप से अधिक पारदर्शी और जवाबदेह कार्यस्थल के निर्माण में कैसे योगदान दे सकते हैं। कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया, जिससे उनके ज्ञान और समझ में वृद्धि हुई।

त. नैट्रेक्स ने सफलता पूर्वक एक नया मील का पत्थर हासिल किया, जब उसने पहली बार एल 5 परीक्षण / प्रमाणन किया, जो पैसेंजर और लोडिंग वाहनों दोनों के लिए था।

थ. नैट्रेक्स ने गर्व के साथ अपना पहला इंडस्ट्री-एकेडेमिया मीट आयोजित किया, जिसमें इंदौर के विभिन्न इंजीनियरिंग संस्थानों और विश्वविद्यालयों के वरिष्ठ अकादमिक निदेशक, डीन और एचओडी ने भाग लिया। सम्मानित प्रतिभागियों ने नैट्रेक्स की सुविधाओं का अवलोकन किया और पूरे कार्यक्रम में इस पहल की सराहना और समर्थन किया।

द. एक रणनीतिक साझेदारी का उद्देश्य ऑटोमोटिव क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास, नवाचार और ज्ञान विनिमय को बढ़ावा देना है। यह एमओयू विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया गया, जिनमें आईआईटी इंदौर के निदेशक प्रो. सुहास जोशी और नैट्रेक्स के निदेशक डॉ. मनीष जायसवाल, पीएचडी शामिल थे। यह सहयोग दोनों संस्थानों की क्षमताओं का लाभ उठाकर अत्याधुनिक अनुसंधान, नई प्रौद्योगिकीयों का विकास और छात्रों एवं शोधकर्ताओं के लिए मूल्यवान अवसर प्रदान करेगा।

आईआईटी इंदौर के साथ समझौता पत्र (एमओयू)

ध. नैट्रेक्स ने ईवी जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, जिसमें L1, L2, L5, ई-रिक्शा श्रेणी के वाहन प्रमाणन, साथ ही ईवी परीक्षण, अनुपालन मानदंड और प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना शामिल हैं। यह कार्यक्रम ऑनलाइन मोड में आयोजित किया गया और इसमें खुला संवाद और गहन चर्चा हुई। इस चर्चा के दौरान सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान, उद्योग की चुनौतियों पर विचार-विमर्श और नवोन्मेषी समाधानों की खोज की गई।

न. नैट्रेक्स यह घोषणा करते हुए उत्साहित है कि नैट्रेक्स और सेंट्र ऑफ एक्सीलेंस इन एडवांस्ड ऑटोमोटिव रिसर्च (सीएएआर), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए, जो ऑटोमोटिव अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने में एक नया अध्याय है। यह सहयोग वाहन गतिकी, टायर मैकेनिक्स, ईवी, सड़क सुरक्षा और उन्नत ऑटोमोटिव तकनीकों जैसे मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित है।

प. नैट्रेक्स ने 11वीं एसएईइंडिया अंतरराष्ट्रीय मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस (एसआईआईएमसी 2024) में गर्वपूर्वक योगदान दिया। इसमें क्रैश बैरियर पर पेपर प्रकाशन, स्थिरता और सर्कुलैरिटी पर पैनल चर्चा, और प्रदर्शनी स्टॉल शामिल थे। इस अवसर पर माननीय भारी उद्योग और इस्पात राज्य मंत्री श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने भी दौरा किया। यह सम्मेलन 11-13 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसका केंद्रीय विषय था 'अमृत काल में मोबिलिटी की पुनः कल्पना: सुरक्षित, सतत और समाज-केंद्रित'। यह एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुआ, जहाँ मोबिलिटी के भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए रोचक चर्चाओं का आयोजन हुआ।

फ. नैट्रेक्स को यह सम्मान प्राप्त हुआ कि उन्होंने श्री नितिन गडकरी जी, माननीय केंद्रीय मंत्री, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का पहली बार नैट्रेक्स, पीथमपुर, धार में स्वागत किया। माननीय मंत्री को विभिन्न सुविधाओं और भविष्य की योजनाओं के बारे में व्यापक ब्रीफिंग दी गई। मंत्री ने एशिया की सबसे लंबी हाई-स्पीड ट्रैक पर शानदार राइडिंग अनुभव प्राप्त किया। उन्होंने क्रैश बैरियर परीक्षण सुविधा का निरीक्षण भी किया, जो भारत में अपनी तरह की पहली सुविधा है, और नैट्रेक्स में 120वें क्रैश बैरियर का लाइव परीक्षण देखा।

ब. नैट्रेक्स ने सागर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस-एसआईएसटेक के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए, ताकि ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग के लिए उद्योग-तैयार प्रतिभा का विकास किया जा सके। एक औपचारिक बैठक में नैट्रेक्स के निदेशक डॉ. मनीष जायसवाल, पीएचडी और एसआईएसटेक निदेशक डॉ. ज्योति देशमुख, साथ ही प्रधानाचार्य डॉ. दिनेश कुमार राजोरिया और प्रो. मनीष बिल्लोरे, पीएचडी ने संयुक्त रूप से नैट्रेक्स, इंदौर में समझौते पर हस्ताक्षर किए।

माननीय केंद्रीय मंत्री, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का दौरा

भ. नैट्रेक्स ने अपने एक ग्राहक को ई-2 पहिया वाहन सब्सिडी के लिए पीएम ई-ड्राइव प्रमाणपत्र का पहला सेट जारी करके एक महत्वपूर्ण शुरुआत की। हाल ही में, नैट्रेक्स ने ईवीएसई (ईवी फास्ट चार्जर) पीएमपी प्रमाणपत्र भी जारी किया था। नैट्रेक्स टीम लगातार ई-2/3 पहिया वाहनों और ट्रैक्शन बैटरी के परीक्षण और प्रमाणन में सक्रिय रूप से लगी हुई है।

म. नैट्रेक्स को अपने विशिष्ट क्षेत्रों में मोटर स्पोर्ट्स गतिविधियों के आरंभ होते देखने में अत्यंत खुशी हुई। फेडरेशन ऑफ मोटरस्पोर्ट्स क्लब्स ऑफ इंडिया (एफएमएससीआई) ने भारतीय राष्ट्रीय रैली स्प्रिंट चौम्पियनशिप 2W का आयोजन किया, जो केंद्रीय भारत में अपनी शुरुआत कर रही थी, और इसका आयोजन नैट्रेक्स में किया गया। इस कार्यक्रम में 2W स्प्रिंट की कई श्रेणियाँ शामिल थीं, जैसे ओपन अप टू 550cc क्लास, प्राइवेटर अप टू 550cc क्लास, स्कूटर अप टू 210cc क्लास और 50 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ वर्ग। इसके अतिरिक्त, 4W स्प्रिंट की विभिन्न श्रेणियों के साथ स्थानीय ड्राइवरों के लिए सपोर्ट रैली का आयोजन भी किया गया।

नैट्रेक्स में मोटर स्पोर्ट्स गतिविधि

य. नैट्रेक्स ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में भाग लिया और भारत मंडपम के सड़क सुरक्षा मंडप में अपनी व्यापक प्रदर्शनी के माध्यम से सड़क सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया।

भारत मंडपम के सेफ्टी पवेलियन में नैट्रेक्स का प्रदर्शनी स्टॉल

र. नैट्रेक्स ने "रोड सेफ्टी चेंज एजेंट्स-4Es पर केंद्रित" विषय पर एक परस्पर संवादात्मक और ज्ञानवर्धक वेबिनार का आयोजन किया, जिसमें उद्योग विशेषज्ञों ने सड़क सुरक्षा, शिक्षा और जागरूकता, प्रवर्तन, इंजीनियरिंग और आपातकालीन प्रतिक्रिया के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला। प्रतिभागियों के उत्साह और जिज्ञासा ने इस सत्र को वास्तव में रोचक बनाया, और उनके फॉलो-अप सत्र के प्रति उत्साह ने इसके प्रभाव को स्पष्ट रूप से दर्शाया।

ल. नैट्रेक्स और एएसडीसी ने आधिकारिक सहयोग के लिए हाथ मिलाया। यह साझेदारी मोटर वाहन कौशल विकास में क्रांति लाने के लिए तैयार की गई है, जिसमें उच्च शिक्षा संस्थानों और मोटर वाहन उद्योग के उम्मीदवारों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण, प्रमाणन और कौशल संवर्धन के अवसर प्रदान किए जाएंगे, ताकि भविष्य के लिए तैयार मानव संसाधन तैयार किया जा सके।

व. नैट्रेक्स ने सीएसआईआर-केंद्रीय इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीईसीआरआई) के सहयोग से ईवी बैटरी सेल विकास, परीक्षण और प्रमाणन पर एक दिवसीय ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया। लगभग दो दर्जन उत्साही प्रतिभागियों के साथ यह सत्र बैटरी और सेल विकास, परीक्षण पद्धतियों और प्रमाणन में गहन जानकारी प्रदान करने वाला अनुभव रहा।

श. नैट्रेक्स को यह देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि ईवी 2 पहिया श्रेणी में एक रिकॉर्ड-तोड़ गति प्राप्त की गई। अल्ट्रवाइअलिट ऑटोमोटिव और ऑटोकार ने भारतीय मोटरसाइकिल (ईवी) द्वारा प्राप्त सबसे तेज गति के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शीर्षक स्थापित किया। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हाई-स्पीड टेस्ट ट्रैक पर हुई, जहाँ अल्ट्रवाइअलिट एफ 99 ने अपनी क्षमता साबित की और 258 किलोमीटर प्रति घंटे की आश्चर्यजनक गति दर्ज की। एफ 99 ने भारतीय मोटरसाइकिल के लिए 1/4 मील का सबसे तेज रिकॉर्ड भी 10.712 सेकंड में बनाया। यह कार्यक्रम भारत की ईवी तकनीक, नवाचार और प्रदर्शन इंजीनियरिंग में बढ़ती दक्षता का प्रमाण है।

नैट्रेक्स के हाई-स्पीड ट्रैक (एचएसटी) पर 2-पहिया गति सहनशक्ति रिकॉर्ड स्थापित करने का आयोजन

IV. राष्ट्रीय ऑटोमोटिव निरीक्षण, अनुरक्षण और प्रशिक्षण संस्थान (एनआईएआईएमटी) सिलचर-असम: एनआईएआईएमटी-सिलचर असम राज्य के सुदूर दक्षिण में स्थित है। एनआईएआईएमटी पूर्वोत्तर और देश के पूर्वी भाग का एकमात्र केंद्र है। एनआईएआईएमटी-सिलचर के क्रमशः जाफिरबॉन्ड और ढोलचेरा में 20 एकड़ और 60 एकड़ के दो परिसर हैं। इसकी तीन प्रमुख गतिविधियां (1) ऑटोमोटिव ड्राइविंग प्रशिक्षण (2) यांत्रिकी प्रशिक्षण और (3) स्वचालित वाहन फिटनेस परीक्षण के क्षेत्र में हैं।

जाफिरबॉन्ड परिसर, एनआईएआईएमटी

i. इसका अधिकांश बुनियादी ढांचा जाफिरबॉन्ड में स्थित है। धोलचेरा स्थित सुविधा केंद्र में 1 किलोमीटर लंबा पहाड़ी रास्ता है। एनआईएआईएमटी वर्ष 2011 में स्वचालित वाहन फिटनेस परीक्षण सुविधा के साथ चालू हुआ, जबकि शेष सुविधा 2013 में पूरी हुई। एनआईएआईएमटी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विभिन्न गतिविधियाँ पूरी की हैं:

क. ऑटोमोटिव ड्राइविंग प्रशिक्षण के अंतर्गत ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान (डीटीआई) एलएमवी फ्रेशर्स, एचएमवी और रिफ्रेशर प्रशिक्षण के लिए स्व-प्रायोजित श्रेणी के अंतर्गत नियमित ड्राइविंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित कर रहा है। वित्तीय वर्ष 24-25 में एलएमवी के अंतर्गत कुल 68 और एचएमवी के अंतर्गत 6, एचएमवी रिफ्रेशर के अंतर्गत 4 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है। यह प्रशिक्षण वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके ड्राइवरों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है जिससे सड़क सुरक्षा और रोजगार के अवसरों में सुधार हो।

एचएमवी रिफ्रेशर कोर्स पर व्यावहारिक प्रशिक्षण सत्र

ख. बराक घाटी के तीन जिलों (कछार - 7176, श्रीभूमि - 2576 और हैलाकांडी - 3524) में अप्रैल से मार्च (वित्त वर्ष 2024-25) तक 13276 वाणिज्यिक वाहनों का वाहन फिटनेस परीक्षण एनआईएआईएमटी सिलचर की स्वचालित परीक्षण सुविधा में किया गया है, साथ ही एनआईएआईएमटी-सिलचर द्वारा श्रीभूमि और हैलाकांडी जिले में तैनात किए गए 2 मोबाइल फिटनेस स्टेशन भी इसमें शामिल हैं।

ग. पीएमवीके परियोजना के तहत बढ़ई और राजमिस्त्री की नौकरी के लिए 116 उम्मीदवारों (एनएसडीसी द्वारा प्रायोजित) का प्रशिक्षण कार्यक्रम। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मैकेनिक्स प्रशिक्षण (एमटीआई) के तहत 7 दिवसीय आरपीएल कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है। सभी उम्मीदवारों को उनके संबंधित कार्यस्थल में तकनीकी कार्यों में उपयोग के लिए तकनीकी सहायता के रूप में एनएसडीसी से हैंड टूल्स किट (विभिन्न प्रकार के औजारों सहित) प्रदान किए गए।

पीएमवीके परियोजना के अंतर्गत राजमिस्त्री की भूमिका पर व्यावहारिक प्रशिक्षण सत्र

पीएमवीके परियोजना के तहत बढ़ई की नौकरी पर व्यावहारिक प्रशिक्षण सत्र

8. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान मुख्यालय में गतिविधियों की मुख्य बातें

i. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को प्राचीन योग प्रथाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करता है, बल्कि तनाव कम करके और श्वसन क्रिया को बढ़ाकर मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार करता है। एनएबी कार्यालय ने 21 जून, 2024 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

ii. एनएबी कार्यालय ने 14 सितंबर से 29 सितंबर 2024 तक 14 दिवसीय ''हिंदी पखवाड़ा'' का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में बढ़ावा देना और दैनिक संचार में इसके प्रयोग को प्रोत्साहित करना था। इसका उद्देश्य सभी के बीच हिंदी भाषा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी था। इस दिशा में, एनएबी ने निबंध लेखन, भाषण, अनुवाद आदि जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया।

हिंदी पखवाड़ा

iii. 16 अगस्त, 2024 से 15 नवंबर, 2024 तक निवारक सतर्कता पर तीन महीने का अभियान चलाया गया, जिसमें क्षमता निर्माण, व्यवस्थित सुधार उपायों की पहचान और कार्यान्वयन, परिपत्रों/दिशानिर्देशों/नियमावली का अद्यतनीकरण, 30 जून, 2024 से पहले प्राप्त शिकायतों का निपटान, गतिशील डिजिटल उपस्थिति और 28 अक्टूबर से 3 नवंबर, 2024 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसकी शुरुआत सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा लेकर की गई। अभियान के दौरान, कर्मचारियों को निवारक सतर्कता के प्रति जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण आयोजित किए गए।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह

iv. 15 से 30 सितंबर 2024 के दौरान, एनएबी ने विशेष अभियान 4.0 की तैयारी का चरण चलाया। इसके बाद, अप्रैल, 2024 और अक्टूबर 2024 के महीनों में, स्वच्छता अभियान, कबाड़ निपटान, अभिलेख प्रबंधन, चित्रकला प्रतियोगिता, सोशल मीडिया अभियान आदि जैसे विभिन्न अभियान सफलतापूर्वक चलाए गए।

v. सितंबर 2024 के महीने में एनएबी मुख्यालय में ''एक पेड़ माँ के नाम'' नाम से एक अभियान चलाया गया और परिसर में पेड़ लगाए गए, जिनका रखरखाव किया जा रहा है।

वृक्षारोपण अभियान

vi. 25 से 31 अक्टूबर, 2024 तक राष्ट्रीय एकता सप्ताह और 30 अक्टूबर, 2024 को संविधान दिवस भी मनाया गया और अधिकारियों द्वारा राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी का समर्थन और योगदान करने की शपथ ली गई।

एनएबी ने राष्ट्रीय एकता सप्ताह और संविधान दिवस मनाया

9. एनएबी के सभी परीक्षण केंद्र पूरी तरह कार्यात्मक और आत्मनिर्भर हैं तथा उद्योग को विश्व स्तरीय परीक्षण, होमोलोगेशन सेवाएं प्रदान कर रहे हैं तथा अपने परिचालन राजस्व से अधिशेष उत्पन कर रहे हैं।

10. सोसाइटी वर्तमान में अपने सभी परीक्षण केंद्रों पर इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) और इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति उपकरण (ईवीएसई) के लिए परीक्षण बुनियादी ढांचे को स्थापना पर ध्यान केंद्रित कर रही है। यह प्रयास मोटर वाहन उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है।

NAB

भविष्य की ओर भारत

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

वित्तीय सूचना

2024-2025

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी के सभी प्रभागों सहित

तुलनपत्र
31 मार्च, 2025 को

(राशि ₹ में)

विवरण	अनुसूची संख्या	31.03.2025 को	31.03.2024 को
समग्र/पूंजी निधि एवं देयताएं			
समग्र निधि/पूंजी निधि	1	-	-
आरक्षित एवं अधिशेष	2	947,00,90,476	744,37,18,114
निर्धारित/बंदोबस्ती निधि	3	1206,04,89,561	1347,74,13,429
सुरक्षित ऋण और उधार	4	-	-
असुरक्षित ऋण और उधार	5	529,68,09,021	571,21,00,000
आस्थगित ऋण देयताएं	6	-	-
वर्तमान देयताएं और प्रावधान	7	341,39,56,808	280,54,87,404
कुल राशि		**3024,13,45,866**	**2943,87,18,948**
संपत्तियां			
अचल संपत्तियां	8	1636,96,83,718	1810,51,68,241
निवेश-निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से	9	-	-
निवेश-अन्य	10	25,36,70,926	20,26,84,973
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि।	11	1361,79,91,222	1113,08,65,733
विविध व्यय (जहां तक बट्टे खाते में नहीं डाला गया है या समायोजित नहीं किया गया है)		-	-
कुल राशि		**3024,13,45,866**	**2943,87,18,948**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और खातों पर नोट्	25		

केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए खातों के एकसमान प्रारूप के अनुसार लेखा पुस्तकों के अनुसार प्रमाणित

डीसी छाजेड एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

Sd/-
(सीए. मुकेश छाजेड़)
एम. नं.: 096778
यूडीआईएन: 25096778BMJLKX3979

Sd/-
प्रबंधक वित्त
एनएबी

Sd/-
निदेशक (एमएचआई)
एवं लुकिंग आफ्टर
निदेशक एफपीसीएल, एनएबी

Sd/-
सीसीए, एमएचआई
एवं लुकिंग आफ्टर
कार्यकारी सदस्य (पीएन), एनएबी

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 04-06-2025

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी के सभी प्रभागों सहित

आय एवं व्यय लेखों का विवरण

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष का

(राशि ₹ में)

विवरण	अनुसूची संख्या	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
आय			
बिक्री/सेवाओं से आय	12	388,62,37,739	352,23,68,560
अनुदान/सब्सिडी	13	139,35,98,453	181,13,88,946
शुल्क/सदस्यता	14	52,42,012	64,04,602
निवेश से आय (निवेश पर आय, निर्धारित/अनुदानित निधियों से निधियों में अंतरित)	15	1,78,55,840	1,39,60,134
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	-	-
अर्जित ब्याज	17	62,39,17,561	46,57,86,435
अन्य आय	18	1,28,62,954	1,03,92,959
तैयार सामान और प्रगतिरत कार्य के स्टॉक में वृद्धि/(कमी)	19	-	-
कुल राशि (क)		**593,97,14,559**	**583,03,01,636**
व्यय			
स्थापना व्यय	20	72,72,08,991	73,95,16,238
अन्य प्रशासनिक व्यय	21	115,23,71,437	89,78,88,395
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय.	22	-	-
ब्याज	23	-	-
मूल्यह्रास (वर्ष के अंत में शुद्ध कुल - अनुसूची 8 के अनुरूप)	8	202,95,57,767	201,04,26,020
कुल राशि (ख)		**390,91,38,195**	**364,78,30,653**
शेष राशि आय से व्यय का आधिक्य (क-ख)		203,05,76,364	218,24,70,982
ईवी अनुदान में स्थानांतरण		-	(4,50,82,959)
अनुसंधान एवं विकास आरक्षित निधि में स्थानांतरण		10,31,54,965	6,19,66,218
शेष राशि अतिरिक्त अधिशेष/(घाटा) आरक्षित एवं अधिशेष/कॉर्पस निधि में ले जाई जाती है		**192,74,21,399**	**216,55,87,723**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और खातों पर नोट्	25		

केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए खातों के एकसमान प्रारूप के अनुसार लेखा पुस्तकों के अनुसार प्रमाणित

डीसी छाजेड एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

Sd/-
(सीए. मुकेश छाजेड़)
एम. नं.: 096778
यूडीआईएन: 25096778BMJLKX3979

Sd/-
प्रबंधक वित्त
एनएबी

Sd/-
निदेशक (एमएचआई)
एवं लुकिंग आफ्टर
निदेशक एफपीसीईएल, एनएबी

Sd/-
सीसीए, एमएचआई
एवं लुकिंग आफ्टर
कार्यकारी सदस्य (पीएन), एनएबी

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 04-06-2025

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी के सभी प्रभागों सहित

तुलनपत्र की अनुसूची

31 मार्च, 2025 को

(राशि ₹ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची संख्या 1- समग्र/पूंजी निधि		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
जोड़ें: समग्र/ पूंजी निधि में योगदान	-	-
जोड़ें/(घटाएं) : आय और व्यय खाते से स्थानांतरित शुद्ध आय/(व्यय) का शेष	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	-	-
अनुसूची संख्या 2- आरक्षित एवं अधिशेष		
पूंजी आरक्षित		
पिछले खातों के अनुसार	12	12
वर्ष के दौरान वृद्धि		
घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौती	-	-
	12	12
पुनर्मूल्यांकन आरक्षित		
पिछले खातों के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौती	-	-
	-	-
अनुसंधान एवं विकास रिजर्व निधि		
पिछले खातों के अनुसार	38,12,29,485	31,92,63,267
वर्ष के दौरान वृद्धि	10,31,54,965	6,19,66,218
घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौती	42,04,000	-
	48,01,80,450	38,12,29,485
अप्राप्त आरक्षित निधि		
पिछले खातों के अनुसार	1,40,60,459	1,40,60,459
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौती	-	-
	1,40,60,459	1,40,60,459
व्यय पर आय का आधिक्य/(आय पर व्यय का आधिक्य)		
पिछले खातों के अनुसार	704,84,28,158	488,28,40,435
जोड़ें: आरक्षित एवं अधिशेष में स्थानांतरण	-	-
जोड़ें: वर्ष के लिए शुद्ध अधिशेष	192,74,21,399	216,55,87,723
घटाएँ: परीक्षण केंद्रों को आवंटित	-	-
	897,58,49,555	**704,84,28,158**
कुल राशि	**947,00,90,476**	**744,37,18,114**

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी के सभी प्रभागों सहित

तुलनपत्र की अनुसूची

31 मार्च, 2025 को

(राशि ₹ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची संख्या 3- निर्धारित/बंदोबस्ती निधि		
क1) मांग प्रोत्साहन वितरण तंत्र (डीआईडीएम) निधि		
क) निधि का प्रारंभिक शेष	2,34,50,185	2,85,33,510
ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
i. दान/अनुदान	-	-
ii. निधियों के खाते में किए गए निवेश से आय	-	-
iii. अन्य परिवर्धन (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	-	-
ग) डीआईडीएम अनुदान प्राप्य	-	-
कुल राशि (क 1)	**2,34,50,185**	**2,85,33,510**
ख1) निधियों के उद्देश्यों के लिए उपयोग/व्यय		
i. पूंजीगत व्यय		
अचल संपत्तियां	-	-
अन्य	-	-
ii. राजस्व व्यय	-	-
वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि।	-	-
किराया	-	-
अन्य प्रशासनिक व्यय	843	50,83,325
डीआईडीएम निधि के लिए किया गया व्यय	-	-
घटाएँ: पिछले वर्ष के देय अनुदान का प्रत्यावर्तन		-
डीआईडीएम निधि के लिए देय व्यय	-	-
भारत सरकार को अनुदान की वापसी (अनुसूची 25 के नोट संख्या 12 और 17 देखें)	2,34,49,342	
कुल राशि (ख1)	**2,34,50,185**	**50,83,325**
कुल राशि (क1-ख1)	**-**	**2,34,50,185**
क2) नैट्रिप अनुदान/परियोजना निधि जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) के लिए परीक्षण सुविधा अवसंरचना हेतु निधि शामिल है		
क) निधि का प्रारंभिक शेष	1345,39,63,244	1516,80,21,313
ख) वर्ष के दौरान बढ़ाए गए/आबंटित परीक्षण केंद्र		
i. दान/अनुदान	-	-
ii. निधियों के खाते में किए गए निवेश से आय	-	-
iii. अन्य परिवर्धन (मूल्यह्रास के पूर्व अवधि समायोजन) (अनुसूची 25 के नोट संख्या 5 (II) का संदर्भ लें)	92,11,558	-
ग) घटाएँ: भारत सरकार को ईवी अनुदान की वापसी	-	26,37,46,129
घ) घटाएँ: ईवी अनुदान का आवंटन-स्वयं निधि (बचत)	-	4,50,82,959
ड) जोड़ें: एआरएआई का ऋण कोष, अनुदान कोष से गलत तरीके से काटा गया	-	40,44,00,000
च) जोड़ें: आरक्षित एवं अधिशेष में स्थानांतरण	**-**	**-**
कुल राशि (क2)	**1346,31,74,802**	**1526,35,92,225**

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी के सभी प्रभागों सहित

तुलनपत्र की अनुसूची

31 मार्च, 2025 को

(राशि ₹ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
ख2) निधियों के उद्देश्यों के लिए उपयोग/व्यय		
i. पूंजीगत व्यय		
अचल संपत्तियां (नैट्रिप परियोजना परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास के लिए एएस-12 के अनुसार आस्थगित अनुदान) (अनुसूची 25 के नोट संख्या 5 का संदर्भ लें)	128,71,93,534	133,90,17,217
अचल संपत्तियां (नैट्रिप परियोजना परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास के लिए एएस-12 के अनुसार पूर्व अवधि आस्थगित अनुदान) (अनुसूची 25 के नोट संख्या 5 (I) का संदर्भ लें)	11,54,91,707	47,06,11,764
अन्य	-	
ii. राजस्व व्यय	-	
वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि।	-	
किराया	-	
अन्य प्रशासनिक व्यय	-	
कुल राशि (ख2)	**140,26,85,241**	**180,96,28,981**
कुल राशि (क2-ख2)	**1206,04,89,561**	**1345,39,63,244**
कुल राशि (निर्धारित/बंदोबस्ती निधि)	**1206,04,89,561**	**1347,74,13,429**
अनुसूची संख्या 4- सुरक्षित ऋण और उधार		
1. केन्द्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं	-	-
क) सावधि ऋण	-	-
ख) उपार्जित एवं देय ब्याज	-	-
4. बैंक	-	-
क) सावधि ऋण	-	-
ख) उपार्जित एवं देय ब्याज	-	-
ग) अन्य ऋण	-	-
घ) उपार्जित एवं देय ब्याज	-	-
5. अन्य संस्थाएं और एजेंसियां	-	-
6. डिबेंचर और बांड	-	-
7. अन्य		
कुल राशि		
अनुसूची संख्या 5-असुरक्षित ऋण और उधार (अनुसूची 25 के नोट संख्या 4 का संदर्भ लें)		
1. केन्द्र सरकार	571,21,00,000	611,65,00,000
घटाएँ: एआरएआई को आवंटित ऋण	-	40,44,00,000
घटाएँ: दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता	41,52,90,979	-
घटाएँ: परीक्षण केंद्रों को आवंटित ऋण	529,68,09,021	571,21,00,000
2. राज्य सरकार	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं	-	-
4. बैंक	-	-
क) सावधि ऋण	-	-
ख) अन्य ऋण	-	-
5. अन्य संस्थाएं और एजेंसियां	-	-
6. डिबेंचर और बांड	-	-
7. सावधि जमा	-	-
8. अन्य	-	-
कुल राशि	**529,68,09,021**	**571,21,00,000**

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी के सभी प्रभागों सहित

तुलनपत्र की अनुसूची

31 मार्च, 2025 को

(राशि ₹ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची 6- आस्थगित ऋण देयताएं		
क) पूंजी उपकरण और अन्य परिसंपत्ति के दृष्टिबंधन द्वारा सुरक्षित स्वीकृति	-	-
ख)अन्य	-	-
कुल राशि	-	-
अनुसूची संख्या 7- वर्तमान देयताएं और प्रावधान		
7 (क) वर्तमान देयताएं		
1. स्वीकृतियां	-	
2. विविध ऋणदाता	-	
क) सामान के लिए	-	
ख) अन्य के लिए	23,20,99,122	10,21,23,172
3. ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम राशि	50,42,40,023	42,25,41,255
4. अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	-	
क) सुरक्षित ऋण/उधार	-	
ख) असुरक्षित ऋण/उधार	-	
5. वैधानिक दायित्व	-	
क) अतिदेय	-	
ख) अन्य (शुल्क एवं कर)	4,49,65,543	5,25,50,983
6. अन्य वर्तमान देयताएं	-	
क) दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता (अनुसूची 25 के नोट संख्या 4 का संदर्भ लें)	41,52,90,979	-
ख) देय व्यय	13,77,61,513	9,11,52,150
ग) प्रतिधारण धन	32,19,20,188	17,57,15,215
घ) सुरक्षा और बयाना राशि जमा सहित अन्य देयताएं	78,43,26,259	93,47,55,754
ड) अर्जित ब्याज जो भारत सरकार को देय है (अनुसूची 25 के नोट संख्या 14 का संदर्भ लें)	91,903	5,35,98,951
च) अर्जित ब्याज जो देय है-अन्य (अनुसूची 25 के नोट संख्या 14 का संदर्भ लें)	66,12,18,436	55,58,39,746
कुल राशि (क)	**310,19,13,965**	**238,82,77,225**
7 (ख) प्रावधान		
1) कराधान के लिए	-	-
2) ग्रेच्युटी	16,54,69,650	17,25,99,055
3) सेवानिवृत्ति/पेंशन	-	2,43,68,266
4) संचित अवकाश नकदीकरण	14,65,59,714	11,12,02,075
5) व्यापार वारंटी/दावे	-	-
6) वर्ष के अंत में देय डीआईडीएम अनुदान का प्रावधान	-	-
कुल राशि (ख)	**31,20,29,364**	**30,81,69,396**

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी के सभी प्रभागों सहित

तुलनपत्र की अनुसूची

31 मार्च, 2025 को

(राशि ₹ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
7 (ग) अन्य परियोजना अनुदान		
क) स्थापना एवं अवसंरचना निधि		
प्रारंभिक जमा	10,11,32,353	10,28,92,318
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला गया अतिरिक्त व्यय	56,640	
घटाएँ: वर्ष के दौरान किया गया व्यय	1,24,770	17,59,965
घटाएँ: वर्ष के दौरान अनुदान की वापसी (अनुसूची 25 के नोट संख्या 12 और 17 देखें)	10,10,53,760	
	10,463	**10,11,32,353**
ख) एनएमईएम, एनएबी और अन्य नई पहल	3,016	3,016
ग) डीसीसीएआई - नोडल एजेंसी निधि (अनुसूची 25 के नोट संख्या 17 का संदर्भ लें)	-	65,05,414
ड) अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं-प्राप्त राशि-ऑपरेशन शेष (अनुसूची 25 के नोट संख्या 17 का संदर्भ लें)	14,00,000	16,60,736
घटाएँ: वर्ष के दौरान किया गया व्यय/अनुदान की वापसी	14,00,000	2,60,736
	-	**14,00,000**
कुल राशि (ग)	**13,479**	**10,90,40,783**
कुल राशि चालू देयताएं और प्रावधान (क +ख +ग)	**341,39,56,808**	**280,54,87,404**

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी के सभी प्रभागों सहित

तुलनपत्र की अचल संपत्तियों की अनुसूची-8

31 मार्च, 2025 को

अनुसूची-8 क-राजस्व निधि

(राशि ₹ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास/ऋणमुक्ति				नेट ब्लॉक	
	वर्ष की शुरुआत में लागत/मूल्यांकन (01.04.2024)	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन (31.03.2025)	वर्ष की शुरुआत में (01.04.2024)	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत तक कुल (31.03.2025)	वर्तमान वर्ष के अंत तक (31.03.2025)	पिछले वर्ष के अंत तक (31.03.2024)
क. अचल संपत्ति										
1. भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) फ्रीहोल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) पट्टाधृत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. इमारतें:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) फ्रीहोल्ड भूमि पर	35,78,89,777	-	-	35,78,89,777	14,66,00,302	2,11,28,948	-	16,77,29,250	19,01,60,527	21,12,89,475
ख) पट्टे की भूमि पर	2,35,35,684	1,23,58,164	(2,44,52,973)	6,03,46,821	48,26,623	45,87,593	(92,11,558)	1,86,25,774	4,17,21,047	1,87,09,061
ग) स्वामित्व वाले फ्लैट/परिसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) इकाई से संबंधित न होने वाली भूमि पर अधिसंरचना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. प्लांट मशीनरी और उपकरण	1,87,64,36,677	16,31,05,930	55,575	2,03,94,87,032	1,11,67,13,156	14,33,32,387	41,598	1,26,00,03,945	77,94,83,087	75,97,23,521
4. वाहन	4,46,56,668	1,16,66,784	-	5,63,23,452	2,96,40,737	38,07,017	-	3,34,47,754	2,28,75,698	1,50,15,932
5. फर्नीचर फिक्स्चर	8,18,60,785	22,86,106	2,17,272	8,39,29,619	4,59,75,723	37,65,306	1,23,750	4,96,17,279	3,43,12,340	3,58,85,061
6. कार्यालय उपकरण	19,74,89,148	1,76,03,096	50,337	21,50,41,907	9,87,88,674	1,25,69,751	41,238	11,13,17,187	10,37,24,720	9,87,00,473
7. कंप्यूटर/उपकरण	9,73,26,955	3,70,51,690	76,50,687	12,67,27,958	7,26,03,551	2,21,91,289	73,57,175	8,74,37,665	3,92,90,293	2,47,23,404
8. विद्युत प्रतिष्ठान	9,74,03,254	6,32,655	-	9,80,35,909	6,16,19,169	54,15,062	-	6,70,34,231	3,10,01,678	3,57,84,085
9. पुस्तकालय की पुस्तकें		-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. ट्यूबवेल और वाटर सप्लाई		-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. अन्य अचल संपत्तियां-फुटकर उपकरण	6,01,807	-	-	6,01,807	6,01,807	-	-	6,01,807	-	-
12. पूंजी आरक्षित के अंतर्गत परिसंपत्तियां (एआरएआई)-12 @1₹. प्रत्येक 1[1]	12	-	-	12	-	-	-	-	12	12
चालू वर्ष का कुल योग	**2,77,72,00,767**	**24,47,04,424**	**(1,64,79,102)**	**3,03,83,84,293**	**1,57,73,69,740**	**21,67,97,352**	**(16,47,797)**	**1,79,58,14,891**	**1,24,25,69,396**	**1,19,98,31,015**
ख. पूंजीगत कार्य प्रगति पर	-		-						**10,27,75,404**	**1,77,75,972**

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी के सभी प्रभागों सहित
तुलनपत्र की अचल संपत्तियों की अनुसूची-8
31 मार्च, 2025 को

अनुसूची-8ख – नैट्रिप परियोजना (अनुदान) निधि जिसमें ईवी अनुदान भी शामिल है'''

(राशि ₹ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास/ऋणमुक्ति				नेट ब्लॉक	
	वर्ष की शुरुआत में लागत/मूल्यांकन (01.04.2024)	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन (31.03.2025)	**** वर्ष की शुरुआत में (01.04.2024)	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत तक कुल (31.03.2025)	वर्तमान वर्ष के अंत तक (31.03.2025)	पिछले वर्ष के अंत तक (31.03.2024)
क. अचल संपत्ति										
1. भूमि		-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) फ्रीहोल्ड	169,09,33,435	-	-	169,09,33,435	-	-	-	-	169,09,33,435	169,09,33,435
ख) पट्टाधृत[3]	65,73,56,682	-	-	65,73,56,682	34,89,557	12,21,09,591	-	12,55,99,148	53,17,57,534	65,38,67,125
2. इमारतें:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) फ्रीहोल्ड भूमि पर	198,80,28,164	-	-	198,80,28,164	121,26,80,786	7,75,34,737	-	129,02,15,523	69,78,12,641	77,53,47,378
ख) पट्टे पर दी गई भूमि पर	1412,47,67,881	-	2,44,52,973	1410,03,14,908	678,49,72,641	73,42,19,414	92,11,558	750,99,80,498	659,02,38,470	733,97,95,240
ग) स्वामित्व वाले फ्लैट/परिसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) इकाई से संबंधित न होने वाली भूमि पर अधिसंरचना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. प्लांट मशीनरी और उपकरण [2 एवं 5]	767,40,49,960	19,34,24,242	1,18,21,176	785,56,53,026	515,45,02,613	39,54,04,991	72,12,434	554,26,95,170	231,30,53,796	251,95,47,346
4. वाहन	68,43,301	-	-	68,43,301	46,35,848	3,31,119	-	49,66,967	18,76,334	22,07,453
5. फर्नीचर फिक्स्चर	1,28,89,756	-	-	1,28,89,756	49,62,040	7,92,771	-	57,54,811	71,34,945	79,27,716
6. कार्यालय उपकरण	55,97,398	-	-	55,97,398	40,60,293	2,30,565	-	42,90,858	13,06,540	15,37,105
7. कंप्यूटर/उपकरण	33,93,17,096	-	-	33,93,17,096	33,50,97,543	16,87,821	-	33,67,85,364	25,31,731	42,19,553
8. विद्युत प्रतिष्ठान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. पुस्तकालय की पुस्तकें	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. ट्यूबवेल और वाटर सप्लाई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. अन्य अचल संपत्तियां (स्क्रैप)	-	1,18,21,176	-	1,18,21,176	-	6,91,311	(72,12,434)	79,03,745	39,17,431	-
चालू वर्ष का कुल योग	**2649,97,83,672**	**20,52,45,418**	**3,62,74,149**	**2666,87,54,942**	**1350,44,01,320**	**133,30,02,320**	**92,11,558**	**1482,81,92,084**	**1184,05,62,857**	**1299,53,82,351**
ख. पूंजीगत कार्य प्रगति पर									**28,96,09,626**	**51,82,54,372**
घटाएँ : संभावित हानि के कारण प्रावधान 4						**6,96,82,921**			**6,96,82,921**	
शुद्ध पूंजी कार्य प्रगति पर									**21,99,26,705**	**51,82,54,372**

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी के सभी प्रभागों सहित
तुलनपत्र की अचल संपत्तियों की अनुसूची-8
31 मार्च, 2025 को

अनुसूची-8ग - नैट्रिप परियोजना (ऋण) निधि

(राशि ₹ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास/ऋणमुक्ति				नेट ब्लॉक	
	वर्ष की शुरुआत में लागत/मूल्यांकन (01.04.2024)	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन (31.03.2025)	वर्ष की शुरुआत में (01.04.2024)	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत तक कुल (31.03.2025)	वर्तमान वर्ष के अंत तक (31.03.2025)	पिछले वर्ष के अंत तक (31.03.2024)
क. अचल संपत्ति										
1. भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) फ्रीहोल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) पट्टाधृत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. इमारतें:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) फ्रीहोल्ड भूमि पर	61,05,74,019	-	-	61,05,74,019	27,07,34,159	3,39,83,986	-	30,47,18,145	30,58,55,874	33,98,39,860
ख) पट्टे पर दी गई भूमि पर	243,10,14,547	-	-	243,10,14,547	85,05,84,335	15,80,43,022	-	100,86,27,357	142,23,87,190	158,04,30,212
ग) स्वामित्व वाले फ्लैट/परिसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) इकाई से संबंधित न होने वाली भूमि पर अधिसंरचना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. प्लांट मशीनरी और उपकरण	266,17,26,927	-	-	266,17,26,927	121,35,57,967	21,72,25,342	-	143,07,83,309	123,09,43,618	144,81,68,959
4. वाहन	87,84,507	-	-	87,84,507	32,99,008	8,22,825	-	41,21,833	46,62,674	54,85,499
5. फर्नीचर फिक्स्चर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. कार्यालय उपकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. कंप्यूटर/उपकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. विद्युत प्रतिष्ठान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. पुस्तकालय की पुस्तकें	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. ट्यूबवेल और वाटर सप्लाई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. अन्य अचल संपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
चालू वर्ष का कुल योग	**571,21,00,000**	**-**	**-**	**571,21,00,000**	**233,81,75,469**	**41,00,75,175**	**-**	**274,82,50,644**	**296,38,49,356**	**337,39,24,531**
घ. पूंजीगत कार्य प्रगति पर									**-**	
सीडब्ल्यूआईपी सहित चालू वर्ष का कुल योग (8ए+8बी+8सी)	**3498,90,84,439**	**44,99,49,843**	**1,97,95,047**	**3541,92,39,236**	**1741,99,46,529**	**202,95,57,767**	**75,63,761**	**1937,22,57,619**	**1636,96,83,718**	**1810,51,68,241**
सीडब्ल्यूआईपी सहित पिछले वर्ष का कुल योग	**3489,57,10,963**	**9,85,62,526**	**(51,89,053)**	**3498,90,84,439**	**1541,28,99,810**	**201,04,26,020**	**(33,79,299)**	**1741,99,46,531**	**1810,51,68,241**	**2002,25,60,584**

नोट: 1. उपरोक्त परिसंपत्तियां सोसायटी द्वारा एआरएआई-आरसीएन के अधिग्रहण के समय नि:शुल्क अधिग्रहित की गई हैं तथा प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 1 दर्शाया गया है।
2. प्लांट मशीनरी और उपकरण की लागत में ईवी निधि के तहत खरीदी गई प्लांट मशीनरी और उपकरण के लिए ₹ 60.12 करोड़ रुपये का सकल मूल्य शामिल है।
3. वर्ष के दौरान लीजहोल्ड भूमि पर परिशोधन लागत ₹ 12.07 करोड़ थी, जिसमें जीएआरसी की अक्टूबर, 2006 से मार्च, 2024 तक की पूर्व अवधि की मदों के रूप में ₹ 11.42 करोड़ शामिल हैं।
- और लीजहोल्ड भूमि पर परिशोधन लागत ₹ 0.14 करोड में एनआईएआईएमटी की फरवरी 2006 से मार्च 2024 तक की पूर्व अवधि की मदों के रूप में ₹ 0.13 करोड़ शामिल हैं।
4. वर्ष के दौरान आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, जीएआरसी में डमी उपकरण की लागत के 50% के बराबर संभावित नुकसान के कारण ₹ 6.97 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है।
5. वर्ष के दौरान, जी.ए.आर.सी. के संयंत्र एवं मशीनरी (अनुदान निधि) के अंतर्गत प्रतिस्थापन परिसंपत्तियों का बही मूल्य ₹ 0.46 करोड़ (सकल मूल्य 1.18 करोड़) स्क्रैप में स्थानांतरित कर दिया गया है।
6. पिछले वर्ष के दौरान अनुदान निधि के अंतर्गत गलत तरीके से आवंटित राजस्व (स्वयं निधि) से संबंधित ₹ 5.96 करोड़ की परिसंपत्ति लागत को ठीक कर दिया गया है और एएस-12 के अनुसार आस्थगित आय के अंतर्गत पूर्व अवधि मदों के रूप में ₹ 0.92 करोड़ के मूल्यह्रास प्रभाव को ठीक कर दिया गया है।

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी के सभी प्रभागों सहित

तुलनपत्र की अनुसूची

31 मार्च, 2025 को

(राशि ₹ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची संख्या 9- निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से निवेश		
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ	-	-
3. शेयर	-	-
4. डिबेंचर और बांड	-	-
5. सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य	-	-
कुल राशि	**-**	**-**
अनुसूची संख्या 10- निवेश-अन्य		
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ	-	-
3. शेयर	-	-
4. डिबेंचर और बांड	-	-
5. सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य (एलआईसी के साथ ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण निधि)	25,36,70,926	20,26,84,973
कुल राशि	**25,36,70,926**	**20,26,84,973**
अनुसूची संख्या 11- चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि।		
11 (क)-वर्तमान परिसंपत्तियां		
1. रहतीया		
क) स्टोर और पुर्जा	3,26,04,790	2,33,32,427
ख) फुटकर उपकरण		
ग) विक्रय सामान		
तैयार सामान		
कार्य शुरू		
कच्चा सामान		
2. विविध देनदार		
क) छह महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण	9,16,42,139	9,90,17,088
घटाएँ: खराब ऋणों के लिए प्रावधान	1,97,060	53,48,604
	9,14,45,079	9,36,68,484
ख) अन्य	99,91,28,608	83,25,57,563
3. हाथ में नकद शेष	14,112	10,876
4. बैंक में जमा राशि		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ		
- चालू खाता	2,23,81,149	1,47,26,845
- जमा खाता	1065,03,82,765	824,66,66,151
- बचत खाता	19,69,09,920	37,64,44,627
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ	-	
- चालू खाता	-	-
- जमा खाता	-	
- बचत खाता	-	
5. डाकघर बचत खाता		
कुल राशि (क)	**1199,28,66,424**	**958,74,06,972**

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी के सभी प्रभागों सहित

तुलनपत्र की अनुसूची

31 मार्च, 2025 को

(राशि ₹ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
ख. ऋण और अग्रिम तथा अन्य		
1. ऋण	-	-
क) कर्मचारी	95,29,939	1,33,79,382
ख) इकाई के समान गतिविधियों/उद्देश्यों में संलग्न अन्य संस्थाएं	-	-
घ) अन्य (निर्दिष्ट करें)		
2. प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए नकद या वस्तु के रूप में वसूल किए जाने वाले अग्रिम और अन्य राशियाँ:	-	-
क) पूंजी खाते पर	-	-
ख) पूर्व भुगतान पर	-	-
ग) अन्य	-	-
I) सरकारी प्राधिकारियों और आपूर्तिकर्ताओं के पास जमा	3,44,25,262	6,28,52,729
II) स्रोत पर कर कटौती / अन्य उपकर प्राप्य	109,72,54,476	99,21,18,831
II) इनपुट जीएसटी प्राप्य	6,10,86,383	8,76,19,354
IV) पूर्वभुगतान व्यय	2,51,94,348	2,50,43,810
V) मोबिलाइजेशन एडवांस	2,77,534	2,77,536
VI) विविध अग्रिम एवं प्राप्य	4,29,71,467	4,92,04,751
3. अर्जित आय:	-	-
क) निर्धारित/ बंदोबस्ती निधि से निवेश पर	-	-
ख) निवेश पर	-	-
ग) ऋण और अग्रिम पर	-	-
घ) अन्य (जमा पर अर्जित ब्याज)	35,43,85,390	31,29,62,367
4. प्राप्य दावे	-	-
कुल राशि (ख)	**162,51,24,798**	**154,34,58,760**
कुल राशि (क+ख)	**1361,79,91,222**	**1113,08,65,733**

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी के सभी प्रभागों सहित

आय एवं व्यय लेखों की अनुसूची

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष का

(राशि ₹ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची संख्या 12- - बिक्री/सेवाओं से आय		
1. बिक्री से आय	-	-
क) तैयार सामान की बिक्री	-	-
ख) कच्चे सामान की बिक्री	-	-
ग) स्क्रैप की बिक्री	-	-
2. सेवाओं से आय		
क) श्रम और प्रसंस्करण शुल्क	-	-
ख) व्यावसायिक/परामर्श शुल्क	-	-
ग)एजेंसी कमीशन और ब्रोकरेज	-	-
घ) रखरखाव सेवाएं (उपकरण/संपत्ति)	-	-
ड) परीक्षण सेवाओं से आय	3,88,62,37,739	352,23,68,560
कुल राशि	**3,88,62,37,739**	**3,52,23,68,560**
अनुसूची संख्या 13- अनुदान/सब्सिडी		
1. केन्द्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार	-	-
3. सरकारी एजेंसियाँ	-	-
4. संस्थाएं/कल्याणकारी संस्थाएं	-	-
5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन	-	-
6. अन्य		
I) नैट्रिप परियोजना परिसंपत्तियों पर मूल्यहास के लिए पूर्व अवधि आस्थगित अनुदान (शुद्ध)	10,62,80,150	47,06,11,764
II) नेट्रिप परियोजना परिसंपत्तियों और स्थापना तथा बुनियादी ढांचे के व्यय पर मूल्यहास के लिए आस्थगित अनुदान	128,73,18,303	134,07,77,182
कुल राशि	**139,35,98,453**	**181,13,88,946**
अनुसूची संख्या 14- शुल्क/सदस्यता		
1. प्रवेश शुल्क	-	-
2. वार्षिक शुल्क/सदस्यता	-	-
3. सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क	52,42,012	64,04,602
4. परामर्श शुल्क	-	-
5. अन्य	-	-
कुल राशि	**52,42,012**	**64,04,602**
अनुसूची संख्या 15-निवेश से आय (निवेश पर आय, निर्धारित/अनुदानित निधि से निधियों में स्थानांतरित)		
1) ब्याज		
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-
ख) अन्य बांड/डिबेंचर	-	-
2) लाभांश		
क) शेयरों पर	-	-
ख) म्यूचुअल निधि पर	-	-
3) किराया	-	-
4) अन्य (एलआईसी के साथ ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण निधि पर)	1,78,55,840	1,39,60,134
कुल राशि	**1,78,55,840**	**1,39,60,134**

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी के सभी प्रभागों सहित

आय एवं व्यय लेखों की अनुसूची

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष का

(राशि ₹ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची संख्या 16- रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय		
1. रॉयल्टी से आय	-	-
2. प्रकाशन से आय	-	-
3. अन्य	-	-
कुल राशि	-	-
अनुसूची संख्या 17- अर्जित ब्याज		
1) सावधि जमा		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ	60,57,97,787	44,34,31,942
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ	-	
ग) संस्थाओं के साथ	-	
घ) अन्य	-	
2) बचत खाते पर		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ	93,38,862	1,38,63,933
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ	-	
ग) संस्थाओं के साथ	-	
घ) अन्य	-	
3. ऋण पर	-	
क) कर्मचारी	8,71,612	11,92,889
ख) अन्य	-	-
4. देनदारों और अन्य प्राप्य पर ब्याज	6,62,597	85,382
5. आयकर रिफंड पर ब्याज	72,46,703	72,12,289
कुल राशि	**62,39,17,561**	**46,57,86,435**
अनुसूची संख्या 18- अन्य आय		
1) परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ		
क) स्वामित्व वाली संपत्ति	-	-
ख) अनुदान से प्राप्त संपत्तियां, या नि:शुल्क प्राप्त संपत्तियां	-	-
2. निर्यात प्रोत्साहन प्राप्त हुआ	-	-
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क	-	-
4. विविध आय		
क) विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव	-	14,86,468
ख) स्क्रैप की बिक्री	83,20,645	44,47,835
ग) पूर्व अवधि की मदों सहित विविध आय (अनुसूची 25 की नोट संख्या 23 देखें)	45,42,309	44,58,656
कुल राशि	**1,28,62,954**	**1,03,92,959**

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी के सभी प्रभागों सहित

आय एवं व्यय लेखों की अनुसूची

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष का

(राशि ₹ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची संख्या 19- तैयार सामान और प्रगतिरत कार्य के स्टॉक में वृद्धि/(कमी)		
1) समापन स्टॉक		
क) तैयार सामान	-	-
ख) कार्य प्रगति पर	-	-
2. घटाएँ: प्रारंभिक स्टॉक		
क) निर्मित सामग्री	-	-
ख) कार्य प्रगति पर	-	-
कुल राशि	-	-
अनुसूची संख्या 20- स्थापना व्यय		
क) वेतन और मजदूरी	52,36,59,443	47,84,17,054
ख) भत्ते और बोनस	47,51,462	41,76,726
ग) भविष्य निधि में योगदान	5,20,22,803	5,21,03,109
घ) अन्य निधि में योगदान - ईएसआई	6,516	6,650
ड) कर्मचारी कल्याण निधि	5,85,60,895	8,03,21,662
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और समाप्ति लाभ पर व्यय	6,17,60,336	9,28,76,268
छ) अन्य		
1) बीमा	2,64,47,536	3,16,14,769
कुल राशि	**72,72,08,991**	**73,95,16,238**

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी के सभी प्रभागों सहित

आय एवं व्यय लेखों की अनुसूची

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष का

(राशि ₹ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची संख्या 21-अन्य प्रशासनिक व्यय		
क) खरीदारी	-	-
ख) श्रम और प्रसंस्करण व्यय	-	-
ग) कार्ट्रज और कैरिज अंदर की ओर	-	-
घ) बिजली और ऊर्जा	23,09,39,053	19,31,75,849
ङ) जल आवेशित	26,96,538	29,08,111
च) बीमा	1,12,85,904	1,31,27,720
छ) मरम्मत और रखरखाव	25,10,83,505	17,01,87,690
ज) उत्पाद शुल्क	-	-
झ) किराया, दरें और कर	1,71,35,015	76,16,238
ञ) वाहन चलाना और रखरखाव	1,23,47,716	86,64,311
ट) डाक, टेलीफोन और संचार शुल्क	67,14,097	52,65,375
ठ) मुद्रण और स्टेशनरी	49,65,250	46,94,242
ड) यात्रा और वाहन शुल्क	7,14,26,845	5,39,00,614
ढ) सेमिनार/कार्यशाला पर व्यय	76,87,225	37,76,406
ण) सदस्यता व्यय	3,72,217	5,33,370
त) फीस पर खर्च	-	3,000
थ) लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक	7,98,575	42,93,295
द) आतिथ्य व्यय	65,67,627	43,05,728
ध) व्यावसायिक प्रभार	4,17,42,877	1,91,45,273
न) खराब और संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान	1,97,060	53,48,604
प) अपरिवर्तनीय शेष राशि को बट्टे खाते में डाला गया	3,02,370	11,41,025
फ) पैकिंग शुल्क	-	-
ब) सामान ढुलाई और अग्रेषण व्यय	8,09,040	15,07,648
भ) वितरण व्यय	-	-
म) विज्ञापन और प्रचार	1,17,27,547	1,24,11,679
य) अन्य	-	
i) बैंक शुल्क	1,35,091	6,39,868
ii) जनशक्ति सेवाएँ	28,49,98,036	20,30,19,329
iii) अन्य प्रशासनिक व्यय	75,93,101	19,41,836
iv) वेबसाइट और सॉफ्टवेयर व्यय	-	-
v) परीक्षण व्यय एवं उपभोग्य वस्तुएं	17,44,77,377	17,74,38,236
vi) पूर्व अवधि व्यय (अनुसूची 25 की नोट संख्या 23 देखें)	40,71,076	28,42,949
vii) विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव	22,98,293	-
कुल राशि	**115,23,71,437**	**89,78,88,395**
अनुसूची संख्या 22- अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय		
क) संस्थाओं/संगठनों को दिया जाने वाला अनुदान	-	-
ख) संस्थाओं/संगठनों को दी जाने वाली सब्सिडी	-	-
ग) अनुसंधान एवं विकास अनुदान/सरकारी अनुदान से व्यय	-	-
कुल राशि	**-**	**-**
अनुसूची संख्या 23- ब्याज		
क) निश्चित ऋण पर	-	-
ख) अन्य ऋण पर (बैंक शुल्क सहित)	-	-
ग) अन्य	-	-
कुल राशि	-	-

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी के सभी प्रभागों सहित

वर्ष हेतु प्राप्ति और भुगतान का लेखा

31 मार्च, 2025 को

(राशि ₹ में)

प्राप्ति	31.03.2025 को समाप्त वर्ष क लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष क लिए	भुगतान	31.03.2025 को समाप्त वर्ष क लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष क लिए
I. प्रारंभिक शेष			**I. व्यय**		
क) हाथ में नकदी	10,876	37,472	क) स्थापना व्यय और ख) प्रशासनिक व्यय		
ख) बैंक में जमा राशि			अप्रत्यक्ष व्यय एवं देय व्यय	51,74,33,456	73,35,28,564
i) चालू खातों में	1,47,26,845	2,55,81,612			
ii) जमा खातों में	8,24,66,66,151	6,43,62,46,867			
iii) बचत खाते	37,64,44,627	89,20,09,873			
II. प्राप्त अनुदान			**II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों के विरुद्ध किए गए भुगतान**		
क) भारत सरकार से	-	-	(निधि या परियोजना का नाम तथा प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान का विवरण दिया जाना चाहिए)		
ख) राज्य सरकार से	-	-	क) भारत सरकार से - आईकैट उपकर निधि	-	2,60,736
ग) अन्य स्रोतों से	-	-	डीसीसीएआई नोडल एजेंसी निधि	-	1,43,93,586
III. निवेश पर आय			**III. निवेश और जमा**		
क) निर्धारित/अनुदानित निधि	-	-	क) निर्धारित/ बंदोबस्ती निधि में से	-	-
ख) स्वयं के निधि (अन्य निवेश)	-	-	ख) स्वयं के धन से (निवेश-अन्य)	4,31,13,61,216	4,46,85,79,213
IV. प्राप्त ब्याज			**IV. अचल संपत्तियों और पूंजीगत कार्य-प्रगति पर व्यय**		
क) बैंक/सावधि जमा पर	36,31,18,996	35,29,92,448	क) अचल संपत्तियों की खरीद	70,45,020	56,54,675
ख) ऋण, अग्रिम आदि	-	-	ख) प्रगतिरत पूंजीगत कार्य पर व्यय	6,59,04,496	3,45,54,628
V. अन्य आय (निर्दिष्ट करें)					
शुद्ध अन्य प्राप्ति	46,79,425	79,97,194	**V. अधिशेष धन/ऋण की वापसी**		
अचल संपत्तियों की बिक्री	68,875	-	क) भारत सरकार/अन्य		
			एनएबी-फेम	12,45,03,945	-
			मुख्यालय.-ई.वी. निधि	-	26,37,46,129
			डीसीसीएआई नोडल एजेंसी निधि	65,05,414	-
			सुषमा को अधिशेष धन वापसी	14,00,000	-
			ख) राज्य सरकार को	-	-
			ग) अन्य निधि प्रदाता को	-	-
VI. उधार ली गई राशि	-	-	**VI. वित्त प्रभार (ब्याज)**		
			भारत की समेकित निधि में जमा-फेम	5,73,85,265	-
			भारत की समेकित निधि में जमा-मुख्यालय.	8,50,074	8,89,96,085

प्राप्ति	31.03.2025 को समाप्त वर्ष क लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष क लिए	भुगतान	31.03.2025 को समाप्त वर्ष क लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष क लिए
VII. कोई अन्य रसीदें (विवरण दें)			**VII. अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें)**		
सावधि जमा	4,59,89,77,094	4,46,31,91,866	अवधारण/ईएमडी/पीबीजी	1,34,09,239	63,18,897
प्राधिकरण/विक्रेता/अग्रिम से प्राप्तियां	1,22,17,84,559	1,03,76,37,351	शुल्क और कर	65,21,77,604	68,75,76,747
अवधारण/ईएमडी/पीबीजी	55,37,083	35,41,248	सुरक्षा जमा (देयता)	3,43,051	4,72,874
विविध देनदार	3,66,25,96,503	3,38,84,72,786	विविध लेनदार	1,60,27,26,645	1,45,56,92,362
सुरक्षा जमा (संपत्ति)	2,59,711	41,47,167	प्राधिकरण-मुख्यालय के पास जमा (टीडीएस प्राप्य)	17,72,627	1,17,58,639
			वर्तमान परिसंपत्तियां/अग्रिम	26,23,64,745	20,24,74,250
			VIII. समापन शेष		
			क) हाथ में नकदी	14,112	10,876
			ख) बैंक में जमा राशि		
			i) चालू खातों में	2,23,81,149	1,47,26,845
			ii) जमा खातों में	10,65,03,82,765	8,24,66,66,151
			iii) बचत खाते	19,69,09,921	37,64,44,627
कुल राशि	**18,49,48,70,744**	**16,61,18,55,884**	**कुल राशि**	**18,49,48,70,744**	**16,61,18,55,884**

केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए खातों के एकसमान प्रारूप के अनुसार लेखा पुस्तकों के अनुसार प्रमाणित

डीसी छाजेड एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

Sd/-
(सीए. मुकेश छाजेड़)
एम. नं.: 096778
यूडीआईएन: 25096778BMJLKX3979

Sd/-
प्रबंधक वित्त
एनएबी

Sd/-
निदेशक (एमएचआई)
एवं लुकिंग आफ्टर
निदेशक एफपीसीएएल, एनएबी

Sd/-
सीसीए, एमएचआई
एवं लुकिंग आफ्टर
कार्यकारी सदस्य (पीएन), एनएबी

दिनांक: 04-06-2025
स्थान: नई दिल्ली

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड (एनएबी) जिसमें सभी प्रभाग शामिल हैं

अनुसूची संख्या 24: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड (एनएबी) एक स्वायत्त निकाय है जिसे भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2013 को पंजीकरण संख्या एस/एनडी/311/2013 के माध्यम से सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत सोसायटी के रूप में शामिल किया गया है। 2021 में नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग आरएंडडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट (नैट्रिप) के पूरा होने के बाद एनएबी नैट्रिप के तहत विकसित परीक्षण केंद्रों की निगरानी और प्रशासन कर रहा है, जिनके नाम हैं आईकैट - मानेसर, जीएआरसी-चेन्नई, नैट्रेक्स-इंदौर और एनआईएआईएमटी-सिल्चर। ये केंद्र पूरी तरह कार्यात्मक हैं।

इसके अलावा, नैट्रिप परियोजना के तहत बनाई गई सभी संपत्तियाँ जिनमें 'इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) के लिए परीक्षण सुविधा अवसंरचना और इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति उपकरण (ईवीएसई) प्रदर्शन परीक्षण/प्रमाणन' शामिल हैं, को 01.04. 2023 से परीक्षण केंद्रों की संबंधित पुस्तकों में उनके लेखापरीक्षित वार्षिक खातों के अनुसार 31.03.2023 तक के बही मूल्य पर आवंटित किया गया है। इन परिसंपत्तियों के अनुरूप, उनके संचित मूल्यह्रास, परियोजना अनुदान, ऋण और अवशिष्ट देनदारियों को भी 01.04.2023 से परीक्षण केंद्रों की संबंधित पुस्तकों में आवंटित किया गया है।

2. लेखांकन की विधि

सोसायटी ने लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली का पालन किया है। ये वित्तीय विवरण सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों और लेखांकन मानकों के अनुसार ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं।

3. अचल संपत्तियां

क. सोसायटी के स्वामित्व वाली अचल संपत्तियों को अधिग्रहण की लागत पर दर्शाया गया है, जिसमें सामान ढुलाई, शुल्क और कर तथा अधिग्रहण से संबंधित अन्य प्रत्यक्ष व्यय शामिल हैं, जो संपत्तियों को उनके इच्छित उपयोग के लिए कार्यशील बनाने में किए गए हैं।

ख. निर्माण और अधिग्रहण के दौरान अर्जित परिसंपत्तियों को संचित किया जाता है और बैलेंस शीट की तिथि पर उनकी पूर्णता की स्थिति के अनुसार पूर्ण या चालू कार्य (प्रगति पर कार्य) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ग. विभिन्न अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए खरीदे गए उपकरणों का लेखा संबंधित केंद्रों की लेखा पुस्तकों में उस विशिष्ट अनुदान के उपयोग के अंतर्गत किया गया है। इन परिसंपत्तियों को सोसायटी की अचल परिसंपत्तियों में नहीं दिखाया गया है।

घ. पट्टा-धारित भूमि का परिशोधन पट्टा अवधि या परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन में से जो भी कम हो, उस पर सीधी रेखा के आधार पर किया जाता है, जब तक कि कोई अन्य व्यवस्थित आधार उस पैटर्न का अधिक प्रतिनिधि न हो जिसमें परिसंपत्ति से आर्थिक लाभ का उपभोग किया जाता है।

ङ. अचल संपत्तियों के निपटान के समय, संपत्ति का लिखित मूल्य कम कर दिया जाता है और शेष राशि को आय/व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है, जैसा भी मामला हो।

4. मूल्यह्रास

क. अचल संपत्तियों पर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारित दरों पर लिखित आधार पर मूल्यह्रास प्रदान किया गया है।

ख. सोसायटी के अंतर्गत उसके केन्द्र में निर्मित परिसंपत्ति पर मूल्यह्रास तब लगाया जाएगा जब परिसंपत्तियां (प्रयोगशाला/सुविधा में उपकरण, भवन, उपयोगिताएं) प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम होंगी और उस लागत पर, जो सीधे परिसंपत्तियों को इसके लिए आवश्यक स्थान और स्थिति में लाने के लिए जिम्मेदार होगी।

ग. सरकारी अनुदान से सृजित परियोजना परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास को संबंधित परिसंपत्तियों पर लगाए गए मूल्यह्रास की सीमा तक आस्थगित आय के रूप में माना जाता है और इसे लेखांकन मानक-12 'सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन' के अनुसार पूंजी दृष्टिकोण पद्धति का पालन करते हुए आय और व्यय खाते में मान्यता दी जाती है।

5. विदेशी मुद्रा लेनदेन

विदेशी मुद्रा में किए गए लेन-देन का लेखा ऐसे लेन-देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है। बैलेंस शीट की तिथि पर विदेशी मुद्रा में बकाया परिसंपत्तियों और देनदारियों को बैलेंस शीट की समापन तिथि पर प्रचलित दर पर बहाल किया गया है। पूंजीगत मद खरीद से संबंधित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव को संबंधित परिसंपत्तियों के मूल्य में पूंजीकृत किया जाता है और राजस्व मदों से संबंधित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव को आय और व्यय खाते में चार्ज किया जाता है।

6. कर्मचारी लाभ

कर्मचारियों को मिलने वाले बोनस का हिसाब नकद आधार पर लगाया जाता है। इसके अलावा, भविष्य निधि और ईएसआई जैसे अन्य परिभाषित अंशदान लाभ उपार्जन आधार पर गणना में लिए जाते हैं। कर्मचारियों की मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर देय ग्रेच्युटी जैसी परिभाषित लाभ योजनाओं के प्रति देयता एक्चुरियल मूल्यांकन के आधार पर अर्जित की जाती है और कर्मचारी को संचित अवकाश नकदीकरण लाभ के लिए प्रावधान एक्चुरियल मूल्यांकन के आधार पर अर्जित किया जाता है और इस धारणा पर गणना की जाती है कि कर्मचारी प्रत्येक वर्ष के अंत में लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। आईकैट और नैट्रेक्स के मामले में, ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण देयताओं को भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) से ली गई पॉलिसी के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। जीएआरसी के मामले में, केवल ग्रेच्युटी की देयता को भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) से ली गई पॉलिसी के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। अन्य केंद्रों में, सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान पहले से बनाए गए प्रावधानों में से देय होने पर किया जाता है।

7. सरकारी अनुदान

क. नैट्रिप परियोजनाओं के लिए पूंजी प्राप्तियों की प्रकृति में सरकारी अनुदानों को निर्धारित निधियों के रूप में दर्ज किया जाता है, अर्थात शेष अनुदान को ईवी अनुदान सहित नैट्रिप परियोजना परिसंपत्तियों के लिखित मूल्य के लिए निर्धारित के रूप में दिखाया जाता है। पूंजी दृष्टिकोण के तहत लेखांकन मानक -12 'सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन' के अनुसार 'मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों/व्यय से संबंधित अनुदानों को लगाए गए मूल्यह्रास की सीमा तक आस्थगित आय के रूप में माना जाता है, जिसे आय और व्यय खाते में मान्यता दी जाती है और निर्धारित के रूप में दिखाए गए शेष अनुदान से भी घटाया जाता है।

ख. फेम योजना के तहत अनुसंधान एवं विकास तथा मांग प्रोत्साहन (डीआईडीएम) के लिए सरकारी अनुदान निर्धारित निधि के अंतर्गत दर्ज किए जाते हैं। इन अनुदानों से संबंधित व्यय चाहे भुगतान किया गया हो या देय हो, उसे भी निर्धारित निधि के अंतर्गत दर्ज किया जाता है। मांग प्रोत्साहन के लिए अनुदान को वर्ष के दौरान दर्ज किए गए दावे और भुगतान किए गए दावे के लिए किए गए प्रावधान की सीमा तक प्राप्य के रूप में दर्ज किया जाता है।

ग. प्रशासनिक व्यय यानी स्थापना और अवसंरचना निधि के लिए फेम योजना के तहत सरकारी अनुदान को "अन्य परियोजना अनुदान" शीर्षक के तहत दिखाया गया है और ऐसे अनुदान के अप्रयुक्त शेष को चालू देयता के रूप

में माना गया है। इन अनुदानों के विरुद्ध व्यय को लेखांकन मानक -12 "सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन" के अनुसार पूंजी दृष्टिकोण के तहत दर्ज किया जाता है "मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों/व्यय से संबंधित अनुदानों को वर्ष के दौरान किए गए व्यय की सीमा तक आस्थगित आय के रूप में माना जाता है, जिसे आय और व्यय खाते में मान्यता दी जाती है।

घ. अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए अन्य केंद्र विशिष्ट सरकारी अनुदानों को परियोजना विशिष्ट अनुदानों के अंतर्गत दिखाया गया है और ऐसे अनुदानों की अप्रयुक्त शेष राशि को चालू देयता के रूप में माना गया है। राजस्व अनुदानों के मामले में, इसे आय एवं व्यय खाते से वसूला गया है।

8. आय मान्यता

क. परिचालन केंद्रों पर राजस्व वाहनों के परीक्षण की सेवाओं की प्रकृति में है, जिसे तब मान्यता दी गई है जब पूर्ण सेवाएं या उसका एक भाग पूरा हो गया हो।

ख. परियोजना निधि/सरकारी अनुदान पर अर्जित ब्याज भारत सरकार को वापस किया जाता है तथा इसे चालू देयता के रूप में दर्शाया जाता है। केन्द्रों के अधिशेष राजस्व के निवेश पर अर्जित ब्याज को आय के रूप में माना जाता है।

ग. संबंधित केन्द्रों के लिए तीन वर्ष से अधिक समय से बकाया ऋणों के लिए खराब ऋणों का प्रावधान किया गया है।

घ. विभिन्न अनुबंधों के तहत ली गई निष्पादन बैंक गारंटी (उस पर ब्याज सहित) के नकदीकरण के कारण प्राप्त राशि को चालू देनदारियों के रूप में मान्यता दी जाती है, क्योंकि विवादों/मध्यस्थता के निपटारे के बाद यह राशि सरकार या संबंधित ठेकेदारों को देय होती है।

ङ. नैट्रिप परियोजना के अंतर्गत वसूल/कटौती की गई तरलता क्षति के कारण प्राप्त राशि को चालू देनदारियों के रूप में मान्यता दी जाती है, क्योंकि यह सरकार को देय है।

च. संबंधित केन्द्रों के लिए आय से व्यय के 5% के बराबर अनुसंधान एवं विकास आरक्षित निधि बनाई गई है।

9. रहतीया

केंद्रों पर रखे जाने वाले स्टॉक में एचएसडी, संदर्भ ईंधन, पुर्जे आदि का स्टॉक शामिल होता है और इसका मूल्यांकन लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर किया जाता है।

10. कराधान

सोसायटी आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत धारा 12ए के अन्तर्गत पंजीकृत है। आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत कोई कर योग्य आय न होने के कारण, तदनुसार, आयकर हेतु कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है।

11. आकस्मिक देयताएं और प्रावधान

भविष्य की घटना के आधार पर देयताएं घटित हो सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं, उन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया जाता है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर अनुमान के आधार पर सभी ज्ञात देयताओं और हानियों के लिए प्रावधानों का लेखा-जोखा किया जाता है।

12. पूर्व अवधि आइटम

एक या एक से अधिक अवधि से संबंधित पूर्व अवधि की वस्तुओं का लेखा किया जाता है, चाहे वे आय हों या व्यय, जो लेखांकन उपचार, त्रुटियों या चूक में सुधार के परिणामस्वरूप वर्तमान अवधि में उत्पन्न होती हैं।

अनुसूची संख्या 25: आकस्मिक देयताएं और खातों पर नोट्स

1. आकस्मिक देयताएं:

1.1 इकाई के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया:

क. श्री एस. पुरुषोत्तमन (पूर्व कर्मचारी) ने वेतन में कटौती और सेवा समाप्ति के लिए नैटिस के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में दो रिट याचिकाएं दायर की हैं, जिनका कुल दावा ₹35,00,000 है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है और नैटिस को अनुकूल परिणाम की उम्मीद है, इसलिए इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। वर्ष के दौरान कोई प्रगति नहीं हुई है।

ख. नैट्रेक्स, इंदौर में ₹ 453 करोड़ की लागत से परीक्षण पथो के निर्माण का कार्य 4 मई 2010 को दो वर्ष की अनुबंध अवधि अर्थात 14 सितंबर 2012 तक के लिए दिया गया था और जीएआरसी, चेन्नई में ₹72.35 करोड़ की लागत से 12 महीने की अनुबंध अवधि के लिए परीक्षण पथो का निर्माण कार्य भी आईवीआरसीएल को 4 मई 2010 को दिया गया था। 16 जनवरी 2013 को मेसर्स आईवीआरसीएल के साथ परियोजना समीक्षा के दौरान, उन्होंने कहा है कि जीएफसीडी जारी करने में देरी, डिजाइन समीक्षा के लिए कार्यों पर रोक आदि जैसे विभिन्न कारणों से; और निर्माण सामग्री अर्थात डीजल, बिटुमिन, सीमेंट, स्टील आदि और श्रम की लागत में प्रर्याप्त वृद्धि को देखते हुए, वे मूल बीओक्यू दरों के अनुसार कार्य करने के मामले में नहीं होंगे और कार्य निष्पादन की स्थिति में मेसर्स आईवीआरसीएल को प्राप्य घाटा होगा क्योंकि दरें 3.5 वर्ष से अधिक पुरानी हैं। उपरोक्त आधार और परियोजना के हित के आधार पर, नैटिस ने मेसर्स आईवीआरसीएल के साथ अनुबंध समाप्त कर दिया है। मेसर्स आईवीआरसीएल ने नैट्रेक्स, इंदौर और जीएआरसी, चेन्नई परीक्षण ट्रैक के अनुबंधों के विरुद्ध संविदात्मक हानि के दावों के अनुसार, ₹201.48 करोड़ की राशि के पूरक दावों सहित कुल ₹415.27 करोड़ के दावे दायर किए हैं। नैट्रिप ने जोखिम और लागत के कारण मेसर्स आईवीआरसीएल पर ₹792.35 करोड़ (संशोधित राशि ₹871.06 करोड़) की राशि के प्रतिदावे भी दायर किए हैं। मामला मध्यस्थता के अधीन है और मेसर्स आईवीआरसीएल को 23.02.2018 को दिवालिया घोषित कर दिया गया था और कंपनी का परिसमापन प्रक्रियाधीन था। वर्ष के दौरान कोई प्रगति नहीं हुई।

ग. हमारे ठेकेदार मेसर्स डीएस पार्टनरशिप ने सिविल, जनरल अरेंजमेंट और जनरल यूटिलिटीज के डिजाइन के लिए अपने संविदात्मक भुगतान के संबंध में 3,32,231.73 जीबीपी (31.03.2025 को लगभग ₹ 3.68 करोड़ के बराबर @₹110.7389 प्रति जीबीपी) के लिए दावा दायर किया है, साथ ही सिविल, जनरल अरेंजमेंट और जनरल यूटिलिटीस के डिजाइन की डिलीवरी के लिए उनके संविदात्मक भुगतान के लिए 10 % प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी दिया है और मध्यस्थता कार्यवाही की लागत 15,000.00 जीबीपी (31.03.2025 को लगभग ₹ 16.61 लाख के बराबर @₹110.7389 प्रति जीबीपी) का दावा भी दायर किया है। मामले का निर्णय 02.04.2016 के आदेश के अनुसार सोसाइटी के पक्ष में किया गया है। चूंकि मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचारधीन है, इसलिए इस दावे के विरुद्ध लेखों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

घ. नैट्रिप ने 7 मई 2010 को इंदौर के नैट्रेक्स में ग्राहक कार्यशाला रखरखाव और समान्य भंडारण भवन के निर्माण के लिए मेसर्स एरा बिल्डसिस लिमिटेड के साथ ₹11,13,18,590/- का अनुबंध किया था। काम पूरा हो गया और ठेकेदार मेसर्स एपेक्स बिल्डसिस (जिसे पहले एरा बिल्डसिस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के साथ अंतिम बिल का निपटान कर दिया गया। मेसर्स एपेक्स बिल्डसिस ने अनुबंध के खंड 19ए का इस्तेमाल किया और दावों की सूचना 24 जुलाई, 2017 को नैट्रिप को दी गई। इसके अलावा, उन्होंने अनुबंध के खंड 31 (सौहार्दपूर्ण समझौता और मध्यस्थता) का इस्तेमाल करते हुए 28 अगस्त, 2017 को एक और पत्र जारी किया और सौहार्दपूर्ण समझौता करने के लिए श्री ए.के. शर्मा को अपना नामित व्यक्ति नियुक्त किया। इसके बाद, 25 अक्टूबर, 2017 को ठेकेदार के साथ नैट्रिप मुख्यालय में एक बैठक बुलाई गई। इसके अलावा, मेसर्स एपेक्स

बिल्डसिस ने 21 नवंबर, 2017 के अपने पत्र के माध्यम से अपनी सुरक्षा जमा राशि (यानी प्रतिधारण राशि) जारी करने का अनुरोध किया। प्रतिधारण राशि 25 जनवरी, 2018 को जारी की गई है। ठेकेदार ने 13 फरवरी, 2018 को (हलफनामे में उल्लिखित तारीख के अनुसार) दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 11 के तहत मध्यस्थता दायर की। याचिका की प्रति इस कार्यालय में 26 फरवरी, 2018 को प्राप्त हुई। ठेकेदार द्वारा दावा की गई राशि विलंबित परियोजना के कारण हुए नुकसान के लिए ₹16.99 करोड़ है और प्रतिदावा ₹4.80 करोड़ दायर किया गया है। इस दावे के विरुद्ध खातों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि मामला मध्यस्थता के तहत लंबित है और कंपनी का परिसमापन प्रक्रियाधीन है।

ङ. नैट्रिप ने 1अप्रैल, 2010 को 58,52,715 यूरो के अनुबंध मूल्य पर जीएआरसी में क्रैश टेस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन की आपूर्ति और स्थापना के लिए मेसर्स किस्टलर इंस्ट्रूमेंट एजी, स्विटजरलैंड के साथ अनुबंध किया था। आपूर्ति 2013 में की गई थी और सामग्री की आपूर्ति के लिए 80% भुगतान जारी किया गया था। हालाँकि ठेकेदार द्वारा स्थापना नहीं की गई थी। मामला मध्यस्थता के अधीन था। ठेकेदार ने 18,59,593 यूरो (31.03.2025 को लगभग ₹17.17 करोड़ के बराबर @ ₹ 92.3246 यूरो प्रति यूरो) का दावा दायर किया और नैट्रिप ने ₹17.82 करोड़ और 43,69,722.19 यूरो (31.03.2025 को लगभग ₹ 58.16 करोड़ के बराबर @ ₹ 92.3246 यूरो प्रति यूरो) का प्रतिदावा दायर किया है। मध्यस्थता ने आंशिक रूप से मेसर्स किस्टलर के पक्ष में फैसला सुनाया। सोसायटी ने आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।

च. नैट्रिप ने आईकैट, मानेसर में 'ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक और संबंधित कार्यों के निर्माण' का कार्य ₹ 27,88,09,895/- के अनुबंध मूल्य पर 29.04.2011 को मेसर्स सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड को 17.06.2012 की समाप्ति तिथि के साथ प्रदान किया। अनुबंध के अंतर्गत कुछ विवाद होने के कारण, 24.10.2016 को मध्यस्थता शुरू की गई। हालाँकि, मेसर्स सुप्रीम द्वारा न्यायाधिकरण का शुल्क अदा न करने के कारण, मध्यस्थता कार्यवाही 07.11.2017 को समाप्त कर दी गई। मध्यस्थ न्यायाधिकरण का अधिदेश भी 23.10.2017 को समाप्त हो गया और आगे कोई विस्तार नहीं दिया गया। तीन साल बाद मेसर्स सुप्रीम ने कार्यवाही को पुनर्जीवित करने के लिए 02.11.2020 को एक आवेदन दायर किया। न्यायाधिकरण ने इस आधार पर आवेदन को अस्वीकार कर दिया कि उक्त मध्यस्थ न्यायाधिकरण आज की तारीख में मौजूद नहीं है। मेसर्स सुप्रीम ने माननीय उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया। 20.10.2022 को, उच्च न्यायालय ने अनुमति दी कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण आगे कार्यवाही करने में सक्षम हो सकता है। उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ, सोसायटी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन दायर किया। 07.02.2025 को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत आदेश में हस्तक्षेप के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है। तदनुसार विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी गई और लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

छ. नैट्रिप ने सामान एवं सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन से पहले वर्ष 2017 में ₹ 578 . 79 करोड़ ली मूल अनुबंध मूल्य राशि के साथ नैट्रेक्स में हाई-स्पीड टेस्ट ट्रैक (एचएसटी) में शेष कार्यों के निर्माण के लिए मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो के साथ एक अनुबंध किया था। यह कार्य वर्ष 2020 में पूरा हुआ, तदनुसार, जीएसटी की अतिरिक्त मांग को छोड़कर, जीएसटी (कानून में बदलाव के कारण) के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, सहमत संशोधित लागत के अनुसार अंतिम भुगतान किया गया है। ठेकेदार ने ₹ 39.08 करोड़ की जीएसटी राशि की अतिरिक्त मांग के विरुद्ध मध्यस्थता दायर की है। सोसायटी ने विचलन, क्षति, राजस्व की हानि आदि के लिए ₹ 22.95 करोड़ की प्रति दावा राशि भी दायर की है। इस दावे के खिलाफ खातों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि मामला मध्यस्थता के अधीन है।

ज. नैट्रिप ने वर्ष 2015 में ₹ 55.07 करोड़ के अनुबंध मूल्य के साथ जीएआरसी में एपीएसएल भवन के निर्माण के लिए मेसर्स पी एंड सी प्रोजेक्ट्स (पी) लिमिटेड के साथ एक अनुबंध किया था। ठेकेदार मध्यस्थता की ओर अग्रसर है।

झ. आईकैट केंद्र के पूर्व कर्मचारी श्री राकेश गर्ग ने पुनर्नियुक्ति के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया है और ₹1.73 करोड़ के मुआवजे का दावा किया है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

1.2 के संबंध में:

- संस्था द्वारा/की ओर से दी गई बैंक गारंटी ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ शून्य)।
- संस्था की ओर से बैंक द्वारा खोले गए ऋण पत्र USD 116220/- (31.03.2025 तक लगभग ₹ 0.9946 करोड़ के बराबर @ ₹ 85.5814 प्रति USD)।
- बैंकों के साथ भुनाए गए बिल ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ शून्य)।

क. सोसायटी के एक प्रभाग आईकैट ने ऋण पत्र जारी करने के लिए बैंक के पक्ष में ₹ 20.68 करोड़ (पिछले वर्ष ₹19.54 करोड़) की सावधि जमा पर ग्रहणाधिकार बनाया है।

1.3 विवादित मांगें के संबंध में:

- आयकर ₹ 51.34 करोड़ (पिछले वर्ष ₹51.34 करोड़)।
- जीएसटी ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ शून्य)।
- नगरपालिका कर ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ शून्य)।

क. आयकर अधिनियम की धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए आयकर निर्धारण पूरा हो गया है और टीडीएस राशि ₹12,29,83,109/-(कुल विवादित मांग ₹ 51,34,37,279/-) समायोजित करने के बाद सोसायटी के विरुद्ध ₹39,04,54,170/- की अतिरिक्त मांग की गई है। इस मांग के विरुद्ध सोसायटी ने अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर की है। प्रबंधन का मानना है कि अपील की कार्यवाही पूरी होने और आदेश प्राप्त होने के बाद, सोसायटी के विरुद्ध कोई मांग नहीं रह जाएगी। इसे देखते हुए, खातों में इस देयता के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

1.4 आदेशों के निष्पादन न करने के लिए पार्टियों से प्राप्त दावों के संबंध में, लेकिन इकाई द्वारा विरोध किया गया - ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ शून्य)।

2. नैट्रिप परियोजना के अंतर्गत केंद्रवार भूमि की स्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.स.	केंद्र का नाम	क्षेत्र	फ्री होल्ड	पट्टे पर दिया	अधिभोग की स्थिति
			मूल्य ₹ करोड़ मे		
1	आईकैट-I	8 एकड़	11.20	-	आईकैट द्वारा पूर्णतः अधिगृहीत, किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा कोई अनधिकृत कब्जा नही।
2	आईकैट-II	46.9 एकड़	156.02	-	आईकैट द्वारा पूर्णतः अधिगृहीत, किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा कोई अनधिकृत कब्जा नही।
3	नैट्रेक्स	2960 एकड़		0.00008	नैट्रेक्स द्वारा पूर्णतः अधिगृहीत, किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा कोई अनधिकृत कब्जा नही।
4	जी.ए.आर.सी.	304 एकड़		65.20	जीएआरसी द्वारा पूर्णतः अधिगृहीत, किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा कोई अनधिकृत कब्जा नही।
5	एनआईएआईएमटी साइट -I- ढोलचेरा	65.123 एकड़		0.18	एनआईएआईएमटी द्वारा पूर्णतः अधिगृहीत, किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा कोई अनधिकृत कब्जा नही।
6	एनआईएआईएमटी साईट -II- जफफईरबॉन्ड	19.504 एकड़	1.88		एनआईएआईएमटी द्वारा पूर्णतः अधिगृहीत, किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा कोई अनधिकृत कब्जा नही।
		कुल राशि	**169.10**	**65.38**	

3. नैट्रिप परियोजना के अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियाँ, जिनमें ''इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) हेतु परीक्षण सुविधा अवसंरचना और इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति उपकरण (ईवीएसई) निष्पादन परीक्षण/प्रमाणन'' शामिल हैं, 01.04.2023 से संबंधित परीक्षण केंद्रों की पुस्तकों में आवंटित कर दी गई हैं। 31.03.2025 तक नैट्रिप परियोजना परिसंपत्तियों का बही मूल्य ₹1502.43 करोड़ है, जिसमें ₹21.99 करोड़ के प्रगतिरत पूँजीगत कार्य शामिल हैं। 31.03.2024 तक शुद्ध डब्ल्यूडीवी (बही मूल्य) ₹1688.75 करोड़ है, जिसमें ₹51.83 करोड़ के प्रगतिरत पूँजीगत कार्य शामिल हैं। (अनुसूची 8-ख और ग देखें)।

4. सीसीईए की मंजूरी के अनुसार, ऋण राशि ब्याज मुक्त है और इसे सात वर्ष की स्थगन अवधि के बाद आठ समान किस्तों में चुकाया जाना है। भारत सरकार को चुकाए जाने वाले ऋण निम्नानुसार हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)

ऋण चुकौती अनुसूची	आईकैट	जीएआरसी	नैट्रेक्स
वित्त वर्ष 2025-26	22.78	15.74	3.01
वित्त वर्ष 2026-27	23.07	20.33	11.63
वित्त वर्ष 2027-28	23.28	23.99	22.02
वित्त वर्ष 2028-29	23.28	24.26	23.86
वित्त वर्ष 2029-30	23.28	24.26	23.86
वित्त वर्ष 2030-31	23.28	24.26	23.86
वित्त वर्ष 2031-32	23.28	24.26	23.86
वित्त वर्ष 2032-33	23.28	24.26	23.86
वित्त वर्ष 2033-34	0.50	8.52	20.86
वित्त वर्ष 2034-35	0.20	3.93	12.24
वित्त वर्ष 2035-36	-	0.26	1.85
कुल राशि	**186.23**	**194.07**	**190.91**

5. (i) चालू वित्त वर्ष के दौरान, सोसायटी के अंतर्गत सृजित परिसंपत्ति पर मूल्यह्रास/परिशोधन के रूप में ₹202.96 करोड़ की राशि प्रभारित की गई है, जिसमें हानि का प्रावधान (पिछले वर्ष ₹ 201.04 करोड़) भी शामिल है, जिसमें से लेखांकन मानकों (एएस-12) के अंतर्गत निर्धारित पूंजी दृष्टिकोण पद्धति के अनुसार, परियोजना परिसंपत्तियों (नैट्रिप अनुदान निधि) पर चालू वर्ष का मूल्यह्रास ₹139.36 करोड़ (पिछले वर्ष ₹180.96 करोड़) आस्थगित आय माना गया है, जिसे चालू वर्ष के आय और व्यय खाते में जमा किया गया है, तथा तदनुसार सरकारी अनुदान से घटाया गया है। जिसमें से, ₹11.55 करोड़ की परियोजना परिसंपत्तियों (नैट्रिप अनुदान निधि) पर मूल्यह्रास को पूर्व अवधि के रूप में, जीएआरसी और एनआईएएमआईटी में लीजहोल्ड भूमि पर परिशोधन लागत को पूर्व अवधि के रूप में, और एएस-12 के अनुसार पूर्व अवधि की आस्थगित आय के रूप में भी दर्शाया गया था।

(ii) चालू वित्त वर्ष के दौरान कुल ₹5.96 करोड़ की अचल संपत्तियों की लागत राजस्व निधि में स्थानांतरित कर दी गई है, जिसे मार्च, 2020 से अनुदान निधि के तहत गलत तरीके से आवंटित किया गया था। उक्त परिवर्तन के परिणामस्वरूप, मार्च 2020 से मार्च 2024 तक मूल्यह्रास के कारण ₹0.92 करोड़ की राशि को पूर्व अवधि मद के रूप में जोड़ा गया है और एएस-12 के अनुसार आस्थगित आय के तहत अनुदान निधि में पुन: जमा किया गया है।

6. सोसायटी ने अक्टूबर 2006 में, चेन्नई में वैश्विक मोटर वाहन अनुसंधान केंद्र (जीएआरसी) के लिए 99 साल के पट्टे पर तमिलनाडु राज्य उद्योग संवर्धन निगम लिमिटेड (सिपकोट) से भूमि का अधिग्रहण किया। 6 नवंबर 2020 को लीज डीड पर हस्ताक्षर किए गए और इसे अनुदान निधि के तहत ₹65.20 करोड़ की ऐतिहासिक लागत पर पूंजीकृत किया गया। वर्ष के दौरान, प्रबंधन ने पिछले वर्षों में लीजहोल्ड भूमि की लागत का परिशोधन न किए जाने के कारण हुई कुछ त्रुटियों की पहचान की है। उक्त लीजहोल्ड भूमि अक्टूबर, 2006 से जीएआरसी को प्रदान की गई थी और तदनुसार, अक्टूबर, 2006 से मार्च, 2024 तक की परिशोधन लागत, जो ₹11.42 करोड़ थी, को अचल संपत्तियों से पूर्व अवधि के व्यय में स्थानांतरित कर दिया गया है। चालू वर्ष की परिशोधन लागत ₹0.65 करोड़ है, जिसे चालू वित्तीय वर्ष के मूल्यह्रास में डेबिट कर दिया गया है।

7. सोसाइटी ने फरवरी 2006 में सिलचर (असम) में 25 वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए 'पट्टे' पर भूमि अर्जित की और इसे अनुदान निधि के अंतर्गत ₹0.18 करोड़ की ऐतिहासिक लागत पर पूंजीकृत किया गया। देय वर्ष के दौरान, प्रबंधन ने पिछले वर्षों में लीजहोल्ड भूमि की लागत का परिशोधन न करने के कारण कुछ त्रुटियों की पहचान की। उक्त लीजहोल्ड भूमि फरवरी, 2006 से एनआईएआईएमटी को प्रदान की गई थी और तदनुसार फरवरी, 2006 से मार्च, 2024 तक की परिशोधन लागत, जो ₹0.13 करोड़ थी, को अचल संपत्तियों से पूर्व अवधि के व्यय में स्थानांतरित कर दिया गया है। चालू वर्ष की परिशोधन लागत ₹0.01 करोड़ है जिसे चालू वित्तीय वर्ष के मूल्यह्रास में डेबिट किया गया है।

8. वर्ष के दौरान, जीएआरसी में क्रैश टेस्ट उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना का कार्य आंशिक रूप से पूरा हो चुका है। शेष भाग को कार्य प्रगति पर दिखाया गया है, जिसमें से क्रैश टेस्ट के लिए एक उपकरण डमी अनुपयोगी पाया गया है और उपयोग के लिए तकनीकी उन्नयन की आवश्यकता है। आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, डमी उपकरण की लागत के 50% के बराबर संभावित हानि के कारण ₹6.97 करोड़ की हानि का प्रावधान किया गया है।

9. वर्ष के दौरान, सोसाइटी को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ₹14.42 करोड़ का आयकर रिफंड प्राप्त हुआ, जिसमें ₹0.69 करोड़ का ब्याज शामिल है। सोसाइटी को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ₹0.42 करोड़ का आयकर रिफंड भी प्राप्त हुआ है, जिसमें ₹0.04 करोड़ का ब्याज शामिल है।

10. सोसाइटी को वित्तीय वर्ष 2008-09 में चेन्नई में 2/3 पहिया वाहनों के पुनर्चक्रण हेतु पुनर्चक्रण डेमो यूनिट (आरडीयू) स्थापित करने हेतु ₹1.41 करोड़ का अनुदान (योजना अनुदान से अतिरिक्त) प्राप्त हुआ था। जीएआरसी चेन्नई में पुनर्चक्रण डेमो यूनिट स्थापित कर दी गई है और उसे क्रियाशील बना दिया गया है। उपरोक्त अनुदान से परिचालन व्यय के बाद सृजित परिसंपत्तियों का विवरण निम्नलिखित है।

आरडीयू के अंतर्गत परिसंपत्तियों का विवरण	राशि (₹)
मशीनरी और उपकरण	35,69,271.00
एयर कंडीशनर	33,837.00
कंप्यूटर/ परिधीय	38,800.00
क्रेट और पैलेट	2,95,181.00
फर्नीचर और फिक्सचर	4,42,770.00
कार्यालय उपकरण	61,208.00
प्रिंटर	43,150.00
सोनी कैमरा- डीएससी 570बी	11,185.00
कुल राशि	**44,95,402.00**

11. 31.03.2025 तक एक्चुरियल मूल्यांकन के अनुसार ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण के प्रावधान निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लागत केंद्र का नाम	देय ग्रेच्युटी (छूट दर @ लगभग 7% प्रति वर्ष)					
		वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	वर्तमान सेवा लागत	पिछली सेवा लागत	एलआईसी के माध्यम से वित्त पोषित	मूल्यांकन रिपोर्ट की तिथि	चालू वर्ष की राशि
1	एनएबी (एचक्यू)	1.41	0.05	-	-	17.04.25	0.10
2	आईकैट	11.43	0.70	8.78	हाँ	30.05.25	2.12
3	जीएआरसी	1.71	0.12	-	हाँ	29.05.25	0.01
4	नैट्रेक्स	1.51	0.07	-	हाँ	15.05.25	0.30
5	एनआईएआईएमटी	0.49	0.02	-	-	17.04.25	(-0.11)

क्र.स.	लागत केंद्र का नाम	अवकाश नकदीकरण देय (छूट दर @ 7% प्रति वर्ष)					
		वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	वर्तमान सेवा लागत	पिछली सेवा लागत	एलआईसी के माध्यम से वित्त पोषित	मूल्यांकन रिपोर्ट की तिथि	चालू वर्ष की राशि
1	एनएबी (एचक्यू)	0.65	0.09	-	-	17.04.25	(-0.05)
2	आईकैट	11.37	0.15	8.44	हाँ	30.05.25	2.48
3	जीएआरसी	1.55	0.22	-	एफडीआर के साथ निर्धारित	24.04.25	0.07
4	नैट्रैक्ट	0.87	0.12	-	हाँ	08.04.25	0.17
5	एनआईएआईएमटी	0.22	0.02	-	-	04.04.25	(-0.05)

12. वर्ष के दौरान, एनएबी से फेम योजना को बंद कर दिया गया है। मांग प्रोत्साहन (डीआईडीएम) के लिए अनुदान का अंतिम शेष ₹2.35 करोड़ और स्थापना एवं अवसंरचना निधि के लिए ₹10.11 करोड़ भारत सरकार को वापस कर दिया गया है।

13. सोसाइटी ने ₹77 करोड़ की निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) राशि भुना ली है, जो विवाद/मध्यस्थता मामले के कारण ठेकेदारों से भुनाई गई थी। इसे भारत सरकार या ठेकेदारों को, यथास्थिति, अर्जित ब्याज राशि सहित वापस किया जाना है, इसलिए इसे वर्तमान देयताएँ शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया गया है।

14. सोसायटी ने नकदीकृत निष्पादन बैंक गारंटियों (पीबीजी) पर ₹66.12 करोड़ (पिछले वर्ष ₹55.58 करोड़) का ब्याज अर्जित किया है। इसे भारत सरकार या ठेकेदारों को, जैसा भी मामला हो, वापस किया जाना है, इसलिए

इसे 'वर्तमान देयताएँ' शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया गया है। अप्रयुक्त अनुदान पर भारत सरकार को ₹0.01 करोड़ (पिछले वर्ष ₹5.36 करोड़) का ब्याज देय है।

15. सोसायटी द्वारा एआरएआई–आरसीएन के अधिग्रहण के समय, कुछ संपत्तियाँ निःशुल्क प्राप्त हुई थीं। ये संपत्तियाँ संख्या में 12 हैं और अचल संपत्ति अनुसूची में प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1 है।

16. सोसायटी को भारत सरकार द्वारा विभिन्न अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र-विशिष्ट अनुदान प्राप्त होते हैं। ऐसे विशिष्ट अनुसंधान एवं विकास कार्यों के लिए, मुख्यतः उपकरणों के रूप में कुछ अचल संपत्तियाँ खरीदी गई हैं, जिनका लेखा उस विशिष्ट अनुदान के उपयोग के अंतर्गत किया गया है। चूँकि ये उपकरण विशिष्ट उपयोग के लिए हैं और परियोजना पूरी होने के बाद, स्वीकृति की शर्तों के अनुसार संग्रहीत किए गए हैं, इसलिए अनुदान स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बाद इनका निपटान किया जा सकता है। ऐसी संपत्तियों के लिए एक अलग रजिस्टर रखा गया है।

17. वर्ष 2024-25 के दौरान एनएबी द्वारा सहायता अनुदान की प्राप्ति और उपयोग की स्थिति निम्नानुसार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	आईकैट अनुदान	स्थापना और अवसंरचना अनुदान	डीआईडीएम अनुदान	डीसीएएआई नोडल एजेंसी निधि	कुल
1 अप्रैल 2024 तक शेष राशि	0.14	10.11	2.35	0.65	13.25
वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	-	-	-	-	-
अनुदान वापस कर दिया गया	0.14	10.11	2.35	0.65	13.25
वर्ष के दौरान उपयोग किए गए अनुदान	-	-	-	-	-
31 मार्च 2025 तक शेष राशि	-	-	-	-	-

*इसके अलावा, एनएबी ने वर्ष 2024-25 के दौरान अनुदानों पर ₹ 0.47 करोड़ का ब्याज अर्जित किया, जिसमें से ₹ 0.46 करोड़ भारत सरकार को जमा किए गए हैं और 31.03.2025 तक ₹ 0.01 करोड़ भारत सरकार को देय हैं।

18. देनदारों और लेनदारों के शेष राशि की पुष्टि और समाधान किया जाना है। संबंधित केंद्रों के लिए तीन वर्षों से अधिक समय से बकाया ऋणों के लिए अशोध्य ऋणों का प्रावधान किया गया है। वर्ष के दौरान अशोध्य ऋणों के लिए ₹1,97,060/- की राशि का प्रावधान किया गया है (पिछले वर्ष ₹53,48,604/-)।

19. चालू देयताओं के अंतर्गत दर्शाए गए वैधानिक बकाया (शुल्क एवं कर) मार्च, 2025 माह के लिए देय हैं और वित्तीय वर्ष के अंत में छह महीने से अधिक समय से कोई बकाया नहीं है। बकाया टीडीएस वसूली योग्य राशि संबंधित वर्ष का मूल्यांकन पूरा होने पर वसूल/समायोजित की जाएगी।

20. सीएवंएजी ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना, आईकैट के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों, जिनमें संविदा कर्मचारी, सलाहकार और आईकैट के तत्कालीन निदेशक शामिल हैं, को परफॉर्मेंस लिंक वेरिएबल पे (पीएलवीपी) योजना के अंतर्गत ₹59.47 करोड़ का अनियमित भुगतान किया गया है। सीएवंएजी की रिपोर्ट के आधार पर, आईकैट की उक्त योजना (पीएलवीपी)

को 23.03.2022 से निलंबित कर दिया गया है और एक कानूनी/विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। विभागीय कार्रवाई के विरुद्ध, कर्मचारियों ने कानूनी मामले भी दायर किए हैं। मामलों की सूची इस प्रकार है:

क्रम सं	मामले का विवरण	केस न.
1	आईकैट बनाम दिनेश त्यागी	NACT/43059/22
2	आईकैट बनाम दिनेश त्यागी	CS37-91-2023 Under Order 37
3	आईकैट बनाम दिनेश त्यागी	Civil Suite No 1937/2023
4	आईकैट बनाम दिनेश त्यागी	COMI/362/2023
5	मनमोहन अग्रवाल बनाम यूओआई और अन्य	W.P.(C) 4118/2024
6	शुभांशु सत्संगी और अन्य बनाम यूओआई और अन्य	W.P.(C) 15304/2023
7	किरनप्रीत सिंह अलग और अन्य। बनाम यूओआई एवं अन्य	W.P .(C) 16764/2023
8	ध्रुव क्र. मीना एवं अन्य। बनाम यूओआई एवं अन्य।	W.P .(C) 16768/2023
9	सचिन भारद्वाज बनाम. एनएबी एवं अन्य।	W.P .(C) 1465/2024
10	वैभव प्रशांत यादव एवं अन्य, बनाम। यूओआई एवं अन्य।	W.P .(C) 1318/2024
11	धीरज वत्स एवं अन्य बनाम यूओआई	W.P .(C) 1164/2024
12	हेमंत कुमार बनाम यूओआई और अन्य	W.P.(C) 12669/2024
13	शिमोना बनाम यूओआई और अन्य	W.P.(C) 14262/2024
14	अनुराग जैन बनाम यूओआई और अन्य	W.P.(C) 15913/2024
15	पामेला टिक्कू बनाम यूओआई और अन्य	W.P.(C) 15603/2024
16	जसदीप बनाम यूओआई और अन्य	W.P.(C) 15605/2024
17	महेंद्र पाल बनाम यूओआई और अन्य	W.P.(C) 17216/2024
18	ओम प्रकाश बनाम यूओआई और अन्य	W.P.(C) 17203/2024
19	संजय गर्ग	WP(C) 4336/2025
20	दिनेश वशिष्ठ बनाम यूओआई और अन्य	W.P.(C) 17558 / 2024
21	सुरेश कुमार उपाध्याय बनाम यूओआई एवं अन्य	W.P.(C) 17589/2024

21. फेम-II योजना भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) द्वारा 1 अप्रैल, 2019 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य समय-समय पर अधिसूचित स्थानीयकरण के साथ-साथ देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इकोसिस्टम का विकास करना है। योजना के इस चरण का उद्देश्य ई-बसों, ई-3 व्हीलर्स, ई-4 व्हीलर्स और ई-2 व्हीलर को समर्थन देकर मांग पैदा करना है। एमएचआई को मार्च, 2022 से अप्रैल, 2023 की अवधि के दौरान इस योजना के तहत 13 ओईएम के खिलाफ शिकायतें मिलीं, जो मुख्य रूप से चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) दिशानिर्देशों के उल्लंघन और एक्स-फैक्ट्री कीमतों के उल्लंघन से संबंधित थीं। एआरएआई और आईकैट जैसी परीक्षण एजेंसियों (टीएएस) को विस्तृत जांच करने का काम सौंपा गया था, जिसमें ओईएम प्लांट निरीक्षण, चालान का विश्लेषण, बीओएम, आदि, वाहन परीक्षण और फेम-II योजना के तहत सब्सिडी का लाभ उठाने वाले ग्राहकों से खरीदे गए वाहनों का स्ट्रिप डाउन विश्लेषण शामिल था। टीए की रिपोर्ट के अनुसार 6 ओईएम अर्थात हीरो इलेक्ट्रिक, ओकिनावा, ग्रीव्स इलेक्ट्रिक (पूर्व में एम्पीयर), रिवॉल्ट, एमो मोबिलिटी और

बेनलिंग के भुगतान में पीएमपी उल्लंघन पाए गए। फेम-II योजना से पंजीकरण रद्द करने और गलत तरीके से दावा किए गए प्रोत्साहन की वापसी के लिए 6 ओईएम को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। 6 ओईएम द्वारा वापस की जाने वाली राशि ₹ 468.80 करोड़ है। वर्ष के दौरान, 3 ओईएम अर्थात ग्रीव्स इलेक्ट्रिक (पूर्व में एम्पीयर), रिवॉल्ट और एमो मोबिलिटी ने मंत्रालय के खातों में सीधे लागू ब्याज सहित ₹ 190.89 करोड़ की पूरी प्रोत्साहन राशि वापस कर दी है। हीरो इलेक्ट्रिक, ओकिनावा और बेनलिंग को भुगतान की गई ₹ 298.75 करोड़ की शेष राशि भी वसूली योग्य है (लागू ब्याज को छोड़कर)। मामला विचाराधीन है और ऊपर बताए गए ओईएमएस से अब तक कोई रिकवरी नहीं हुई है। ऊपर दी गई रकम में 3 साल के लिए @एसबीआई के मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट (एमसीएलआर) पर पैनल इंटरेस्ट शामिल नहीं है।

22. वर्ष के दौरान ₹10.32 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 6.20 करोड़) की राशि के लिए अनुसंधान एवं विकास आरक्षित निधि बनाई गई है, जो व्यय पर आय के 5% के बराबर है।

23. पूर्व अवधि की वस्तुओं का विवरण:

पूर्व अवधि की आय (₹)	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
अर्जित ब्याज (जीएआरसी)	7,89,740	-
पूर्व अवधि की व्यय (₹)	**वित्त वर्ष 2024-25**	**वित्त वर्ष 2023-24**
मरम्मत और रखरखाव (आईकैट)	5,77,929	9,97,328
परीक्षण व्यय और उपभोग्य वस्तुएं (आईकैट)	6,03,576	11,35,448
बिजली और पावर (आईकैट)	-	2,68,007
बीमा (आईकैट)	-	19,351
डाक, टेलीफोन और संचार शुल्क (आईकैट)	7,650	-
मुद्रण एवं स्टेशनरी (आईकैट)	1,02,400	-
विज्ञापन और प्रचार (आईकैट)	1,48,000	-
यात्रा और परिवहन शुल्क (आईकैट)	8,924	-
किराया, दरें और कर (आईकैट)	13,30,830	-
विविध व्यय (आईकैट)	-	1,92,871
मरम्मत और रखरखाव (जीएआरसी)	5,48,785	-
विविध व्यय (एनआईएआईएमटी)	-	93,779
व्यावसायिक शुल्क (एनआईएआईएमटी)	10,000	-
विविध व्यय (फेम)	-	98,050
सीएंडएजी ऑडिट शुल्क	7,04,310	-
वाहन संचालन एवं रखरखाव (मुख्यालय)	21,288	-
विविध व्यय (मुख्यालय)	7,384	38,115
कुल राशि	**40,71,076**	**28,42,949**

24. विदेशी मुद्रा में आय/व्यय:

विदेशी मुद्रा में आय/व्यय (₹)	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
आईकैट		
विदेशी मुद्रा में आय	8,17,81,194	14,72,05,397
विदेशी मुद्रा में व्यय	4,26,39,209	7,05,48,046
विदेशी मुद्रा परिवर्तन	22,98,293 (Dr.)	14,86,468 (Cr.)
नैट्रैक्स		
विदेशी मुद्रा में व्यय	5,73,328	-

25. इस अवधि के दौरान, आईकैट ने परिसंपत्तियों की बिक्री पर ₹ 81,954 का लाभ और परिसंपत्तियों की बिक्री पर ₹ 81,954 की हानि दर्ज की है। चालू वर्ष की पुस्तकों में शुद्ध प्रभाव शून्य दर्ज किया गया है। परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि मोबाइल हैंडसेट के डब्लूडीवी मूल्य और कर्मचारियों से प्राप्त बिक्री मूल्य के बीच के अंतर के कारण है।

26. अग्रिम, सुरक्षा जमा, देनदार और विभिन्न प्राप्य और लेनदारों और विभिन्न देय राशियों की शेष राशि पुष्टि और समाधान के अधीन है।

27. भुगतान किए गए/देय सामान एवं सेवा कर (जीएसटी) सहित वैधानिक बकाया (शुल्क और कर) विभिन्न वैधानिक रिटर्न फील्ड के साथ समाधान के अधीन हैं, वित्तीय विवरणों पर ऐसे समाधान का कोई भौतिक प्रभाव नहीं है।

28. वर्तमान आंकड़ों को अधिक तुलनीय बनाने के लिए, जहां भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत, पुनः व्यवस्थित और पुनः ढाला गया है।

केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए खातों के एकसमान प्रारूप के अनुसार लेखा पुस्तकों के अनुसार प्रमाणित

डीसी छाजेड एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन: 0013529एन

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

Sd/-
(सीए. मुकेश छाजेड़)
पार्टनर (एफसीए)
एम. नं.: 096778
यूडीआईएन: 25096778BMJLKX3979

Sd/-
प्रबंधक वित्त
एनएबी

Sd/-
निदेशक (एमएचआई)
एवं लुकिंग आफ्टर
निदेशक एफपीसीएएल, एनएबी

Sd/-
सीसीए, एमएचआई
एवं लुकिंग आफ्टर
कार्यकारी सदस्य (पीएन), एनएबी

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 04-06-2025

OPINION OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA ON THE ACCOUNTS OF NATIONAL AUTOMOTIVE BOARD (NAB) FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2025

Opinion

We have audited the financial statements of National Automotive Board (NAB), which comprise the statement of financial position as at 31 March 2025 and the Income and Expenditure Account/Receipts and Payments Account fir the year ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies under Section 20(1) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Clause 21.3 of the rules and Regulations (Bye-Laws) of the National Automotive Board. The audit has been entrusted for the period up to 2025-26.

This Audit Report contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards, disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions regarding compliance with the Law, Rules and Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency cum performance aspects, etc., if any, are reported through inspection reports/CAG's audit reports separately.

In our opinion the accompanying financial statements of NAB, read together with the accounting policies and Notes thereon and matters mentioned in the Separate Audit report, which follows, **give a true and fair view** of the financial position of the trust as at March 31, 2025, and its financial performance for the year ended in accordance with Uniform Format of Accounts for Central Autonomous Bodies.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the CAG's auditing regulations/ standards/ manuals/ guidelines/guidance-notes/orders/circulars etc. Our responsibilities are further described in the *Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements* section of our report. We are independent of the autonomous body in accordance with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Management for the Financial Statements

The management of the NAB is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with the uniform format of accounts/accounting standards generally accepted in India, and for internal control as management determines it necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatements, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that

includes our opinion in accordance with CAG's auditing regulations/standards/ manuals guidelines/ guidance-notes/ orders circulars etc.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

पवन
11/11/25

(Dr. Pawan Kumar Konda)
OSD
(Industry and Corporate Affairs)
New Delhi

Place: New Delhi
Date: 11.11.2025

SEPARATE AUDIT REPORT ON THE ACCOUNTS OF NATIONAL AUTOMOTIVE BOARD (NAB) FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2025

A. Income and Expenditure Account

A.1 Income

A.1.1 Other Income: ₹ 1.29 crore (Schedule-18)

National Automotive Test Tracks (NATRAX), a unit of National Automotive Board (NAB) entered into (March 2023) an MOU with Apollo Tyres Limited (ATL) for development of a Test Track. The Track was to be constricted by 1 July 2023 and thereafter ATL was to utilize the Track regularly. As per the MOU, during the initial four years, ATL was to utilise the Track for 167 hours per year for ₹10.00 lakh per annum as track usage charges.

ATL did not pay the annual usage charges of ₹10.00 lakh for the year 2024-25 in terms of the provisions of MoU. However, the amount receivable from ATL was not recognised as Income by NAB. This resulted in understatement of Other Income as well as Current Assets by ₹10.00 lakh each.

B. Management Letter

Deficiencies which have not been included in this Separate Audit Report have been brought to the notice of the Management through a Management Letter issued separately for remedial/corrective action.

C. Assessment of Internal Control

i) Adequacy of Internal Control System

The internal control system in NAB was inadequate and not commensurate with size of the organization as it did not have a recruitment policy and rules for personnel management. comprehensive manual for financial control and risk management. There was manual recording of billing (NATRAX), difference in Fixed Assets Schedule and Fixed Assets Register (ICAT) and non-submission of Internal Audit report to Governing Council during the year.

ii) Adequacy of Internal Audit System

NAB has an Internal Audit Wing, however, internal audit during the financial year 2024-25 has been carried out by M/s Mithilesh Singh & Co, Chartered Accountants.

iii) System of Physical Verification of Fixed Assets

Physical Verification of Fixed assets was carried out during the FY 2024-25.

iv) System of Physical verification of inventory

There was no inventory at NAB Head Office. Physical verification of Inventory in NAB centres was carried out during the FY 2024-25.

v) Regularity in payment of statutory dues

NAB was regular in depositing statutory dues.

vi) Other matters relating to functioning of the entity

NIL

D. Grants in aid

(₹ in crore)

Particulars	ICAT Grant	Establishment and Infra Grant	DIDM Grant	DCAAI[1] Nodal Agency Fund	Total
Balance as on 1 April 2024	0.14	10.11	2.35	0.65	13.25
Grants received during the year	-	-	-	-	-
Grants refunded	0.14	10.11	2.35	0.65	13.25
Grants utilised during the year	-	-	-	-	-
Balance as on 31 March 2025	-	-	-	-	-

Besides NAB earned interest of ₹0.47 crore on grants during the year 2024-25, out of which ₹0.46 crore had been refunded to the Government of India and ₹0.01 crore as on 31.03.2025 was payable to the Government of India.

1 Development Council for Automobile and Allied Industries

सीएवंएजी रिपोर्ट (एसएआर) वित्तीय वर्ष 2024-25 पर एनएबी का स्पष्टीकरण:

क्र. सं	सीएवंएजी की टिप्पणियां	एनएबी का स्पष्टीकरण
क	**आय और व्यय खाता** क .1 आय क .1.1 अन्य आय: ₹ 1.29 करोड़ (अनुसूची-18) राष्ट्रीय ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स (नैट्रेक्स), राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड (एनएबी) की एक इकाई, ने टेस्ट ट्रैक के विकास के लिए अपोलो टायर्स लिमिटेड (एटीएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए (मार्च 2023)।. ट्रैक को 1 जुलाई 2023 तक छोटा किया जाना था और उसके बाद एटीएल को रेगुलर ट्रैक का इस्तेमाल करना था। एमओयू के मुताबिक, शुरुआती चार सालों में, एटीएल को ट्रैक का इस्तेमाल हर साल 167 घंटे करना था, जिसके लिए ट्रैक इस्तेमाल के चार्ज के तौर पर हर साल ₹10.00 लाख देने थे।. एटीएल ने एमओयू के नियमों के मुताबिक साल 2024-25 के लिए ₹10.00 लाख का सालाना उपयोग शुल्क नहीं दिया। हालांकि, एटीएल से मिलने वाली रकम को एनएबी ने आय के तौर पर नहीं माना। इस वजह से दूसरी आय और वर्तमान संपत्तियाँ में से हर एक को ₹10.00 लाख कम दिखाया गया।	वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान, एटीएल से जुड़े ₹10 लाख के बिल नहीं बनाए जा सके, क्योंकि एटीएल ने ₹10 लाख के बिल बनाने के लिए क्रय आदेश नहीं दिया था। इसलिए, बिल बनाने की बाकी प्रक्रिया नहीं हुई और वित्तीय वर्ष 2024-25 में आय दर्ज नहीं की गई। एटीएल ने 09.09.2025 (यानी वित्तीय वर्ष 2025-26) को नैट्रेक्स को क्रय आदेश (तारीख 18.03.2025) जारी किया है। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ₹10 लाख का बिल राशि, एटीएल द्वारा जारी किए गए क्रय आदेश के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 की लेखा पुस्तकों में पिछली अवधि की आय के तौर पर बुक किया गया है। एटीएल से भुगतान 26.09.2025 को मिल गया है। **उपरोक्त स्पष्टीकरण के मद्देनजर, उपरोक्त लेखापरीक्षा अवलोकन को छोड़ने का अनुरोध किया जाता है।**
ख	**प्रबंधन पत्र:** जो कमियां इस अलग ऑडिट प्रतिवेदन में शामिल नहीं की गई हैं, उन्हें सुधार के लिए अलग से जारी प्रबंधन पत्र के जरिए प्रबंधन के ध्यान में लाया गया है।	नोट कर लिया।
ग. i	**आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता:** एनएबी में आंतरिक नियंत्रण प्राणाली काफी नहीं था और संगठन के आकार के अनुरूप नहीं था क्योंकि इसमें भर्ती नीति और व्यक्तिगत प्रबंधन के नियम नहीं थे, वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन के लिए पूरी नियमावली नहीं थी । बिलिंग की मैनुअल रिकॉर्डिंग (नैट्रैक्स), अचल संपत्तियां अनुसूची और अचल संपत्तियां रजिस्टर (आईकैट) में अंतर था और साल के दौरान शाषी परिषद को आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जमा नहीं की गई थी।	एनएबी के आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करने के लिए नीचे दिए गए कदम उठाए गए।: i. सभी एनएबी टेस्टिंग सेंटर्स ने 05.06.2025 को एक आंतरिक लेखापरीक्षा पक्ष (आईएडब्ल्यू) बनाया था। काम के दायरे के अनुसार, आईएडब्ल्यू की प्रतिवेदन लेखापरीक्षा समिति में रखी जाएगी। ii. सुचारू संचालन के लिए, वित्तीय मामलों में पर्याप्त अधिकार 02.11.2022 को परीक्षण केंद्रों के निदेशक को सौंप दिए गए थे। iii. टेस्टिंग सेंटर्स के लिए तकनीकी / वित्तीय समिति बनाई गई है। iv. टेस्टिंग एजेंसियों द्वारा 50 करोड़ तक के पूंजीगत व्यय को मंजूरी देने के लिए 02.11.2022 को अधिकार प्राप्त समिति (एएस - एफए) की अध्यक्षता में बनाई गई थी। v. जुलाई, 2024 में, लेखांकन नियमावली को अपनाया गया है ताकि यह पक्का किया जा सके कि लेखा पुस्तकें केन्द्रीय स्वायत निकायों के लिए तय किए गए लेखा पुस्तकों के प्रारूप के अनुसार हों। **उपरोक्त स्पष्टीकरण के मद्देनजर, उपरोक्त लेखापरीक्षा अवलोकन को छोड़ने का अनुरोध किया जाता है।**

ग. ii	**आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता:** एनएबी के पास एक आंतरिक लेखापरीक्षा पक्ष है, हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा मेसर्स मिथिलेश सिंह एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा किया गया है।	एनएबी और उसके टेस्टिंग सेंटर्स का आंतरिक लेखापरीक्षा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक फर्म करती है। सभी एनएबी टेस्टिंग सेंटर्स ने आंतरिक जांच और संतूलन देखने के लिए 05.06.2025 को एक आईएडब्ल्यू बनाया है। इसके अलावा, आईएडब्ल्यू के काम के दायरे में आंतरिक नियंत्रण, जोखिम प्रबंधन, शासन, वित्तीय नियंत्रण और प्रदर्शन की समीक्षा करना शामिल है।
ग. iii	**अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली:** वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अचल संपतियाँ का भौतिक सत्यापन किया गया।	नोट कर लिया।
ग. iv	**रहतीय के भौतिक सत्यापन का सिस्टम:** एनएबी मुख्यालय में कोई रहतीय नहीं थी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान एनएबी सेंटर्स में रहतीय का भौतिक सत्यापन किया गया।	नोट कर लिया।
ग. v	**वैधानिक देय राशि के भुगतान में नियमितता:** एनएबी कानूनी बकाया जमा करने में नियमित था।	नोट कर लिया।
ग. vi	ईकाई के कामकाज से जुड़े दूसरे मामले शून्य	नोट कर लिया।
घ	सरकार से प्राप्त	नोट कर लिया।

NAB

भविष्य की ओर भारत

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

(भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत पंजीकृत समिति)

पंजीकृत कार्यालय : कमरा न.-123 सी, उद्योग भवन,
भारी उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली-110011

कॉर्पोरेट कार्यालयः द्वितीय तल, प्रशासनिक भवन, अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केंद्र
(आईसीएटी) कैंपस-II, सेक्टर-11, आईएमटी मानेसर, गुरुग्राम, हरियाणा-122051
दूरभाषः +91-124-6900000
Website: www.nabindia.in

परीक्षण केंद्रः एनएबी के अंतर्गत

अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केंद्र (आईसीएटी)

केंद्र-I
पताः प्लॉट संख्या 26, सेक्टर 3, एचएसआईआईडीसी,
आईएमटी मानेसर, गुरुग्राम, हरियाणा- 122050

केंद्र-II
पताः प्लॉट संख्या 1, सेक्टर-एम-11, एचएसआईआईडीसी,
आईएमटी मानेसर, गुरुग्राम, हरियाणा- 122051

ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर (जीएआरसी)
पताः प्लॉट ई1,सीपकोट औद्योगिक विकास केंद्र, ओरागदम,
माथुर पोस्ट, श्रीपेरंपुथुर तालुका, कांचीपुरम, जिला, तमिलनाडु- 602118

नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स (नैट्रेक्स)
पताः आगरा-मुंबई हाईवे (एनएच-52), पीथमपुर फ्लाईओवर के पास,
पोस्ट-खंडवा (पीथमपुर के पास), जिला- धार (म.प्र.)-454774

राष्ट्रीय ऑटोमोटिव निरीक्षण संस्थान,
रखरखाव एवं प्रशिक्षण (एनआईएआईएमटी)

पताः जाफिरबोंड, डाकघर, उधरबोंड, सिलचर के पास, जिला-कछार, असम, -788030

Xtreme Office Aids (P) Ltd. # +91 783 806 6880